[2022] 1 एस. सी. आर. 28

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

अतुल कुमार द्विवेदी और ओआरएस

(2022 की सिविल अपील संख्या 228)

07 जनवरी, 2022

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

सेवा कानूनः भर्ती/चयन-उम्मीदवारों के चयन में अपनाई गई 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' की प्रक्रिया

राज्य पुलिस बल-की शुद्धता-के लिए उपयुक्त चरण सामान्यीकरण का अनुप्रयोग-आयोजितः तथ्यों के अनुसार, 63 लाख से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए थे।

12 दिनों में 29 अलग-अलग बैचों में आयोजित लिखित परीक्षाओं में उम्मीदवारी का परीक्षण किया गया था-इस तथ्य के कारण भिन्नता थी कि उम्मीदवारों का परीक्षण 12 दिनों में अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों के माध्यम से किया गया था-उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड संभवतः 29 अलग-अलग बैचों के लिए उसी प्रकार के प्रश्नों के साथ परीक्षा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था जैसा कि बाद के बैचों में होता।

पहले के बैचों में रखे गए प्रश्नों के पैटर्न को देखने का लाभ-इस प्रकार, हालांकि विषय समान थे, प्रश्न पत्र

गुणवत्ता और दृष्टिकोण के मामले में आवश्यक रूप से अलग होगा ऐसी स्थिति में कि "अंकों के मापन" को अपनाया जाना था और यही हमेशा सही दृष्टिकोण होगा

सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने में बोर्ड द्वारा किया गया कार्य

प्रारंभिक चरण में, अर्थात, भर्ती नियमों के नियम 15 (बी) के स्तर पर कानून की आवश्यकताओं के साथ काफी सुसंगत था-बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में थी और

हस्तक्षेप किया जाता है, जब तक कि सत्ता के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरण नहीं बनाए जाते हैं-यू. पी. सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सेवा (पहला संशोधन) नियम, 2015-उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियम, 2008-नियम 15 (बी) और 15 (ई)-पुलिस अधिनियम, 1861।

28 उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी

सेवा कानूनः भर्ती/चयन-प्रक्रिया को अपनाना

' निशानों का मापन 'या' सामान्यीकरण '-जब उपयुक्त हो

चर्चा की।

प्रशासनिक कानूनः विशेषज्ञ निकाय-आयोजितः लोक सेवा आयोगों सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णय

जब तक सत्ता के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरण नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इसमें हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

क़ानूनों की व्याख्याः एक ही अभिव्यक्ति एक क़ानून में विभिन्न स्थानों पर दिखाई देती है-निर्माण का नियम-आयोजितः यह वह संदर्भ है जो यह निर्धारित करता है कि दो अलग-अलग स्थानों पर होने वाली एक ही अभिव्यक्ति को अलग-अलग माना जाना चाहिए या एक ही प्रकाश में।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . एकल परीक्षा के मामले जहां कई संख्या में परीक्षक हैं, उनमें संयम की आवश्यकता हो सकती है

परीक्षक-इन-चीफ या प्रयोजनों के लिए गठित ऐसे निकाय द्वारा अपनाया गया। इसके विपरीत, अंकों के मापन को एक उपयुक्त विधि के रूप में स्वीकार किया गया है जहां उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाता है।

1.2 . तत्काल मामलों में 6.3 लाख से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए थे जिनकी उम्मीदवारी थी 12 दिनों में 29 अलग-अलग बैचों में आयोजित लिखित परीक्षाओं में परीक्षण किया गया। इस तथ्य के कारण परिवर्तनशीलता थी कि उम्मीदवारों का विभिन्न तिथियों पर प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों के माध्यम से 12 दिनों में परीक्षण किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस

भर्ती और संवर्धन बोर्ड संभवतः नहीं जा सकता था

उसी के साथ 29 अलग-अलग बैचों के लिए परीक्षा के साथ आगे बढ़ें

प्रश्नों का प्रकार जैसा कि बाद के बैचों में होगा पहले के बैचों में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को देखने का लाभ था। इस प्रकार, हालांकि विषय समान थे,

गुणवत्ता और दृष्टिकोण के मामले में प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से अलग होंगे। ऐसी स्थिति में "अंकों के मापन" को अपनाया जाना था और यह हमेशा सही दृष्टिकोण होगा। [पारस 39,41] [96-एफ; 97-सी-डी] [2022] 1 एस. सी. आर.

1.3 . वास्तव में, हालांकि, पहले के एक फैसले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने "स्केलिंग" का दृष्टिकोण पाया।

एक ही परीक्षा में भी उचित होने वाले अंकों की संख्या, ताकि मूल्यांकन में भिन्नता के लिए हर गुंजाइश को समाप्त किया जा सके।

2. तत्काल मामले में, खंड "लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी और भर्ती नियमों [उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2015] के नियम 15 (बी) में दिखाई देने के रूप में अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, विशेष रूप से बोर्ड को प्रक्रिया तैयार करने या निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। परिशिष्ट-3 को हटाने और नियम 15 (बी) में विशिष्ट सशक्तिकरण के साथ, बोर्ड एक ही परीक्षा के बजाय कई परीक्षा आयोजित कर सकता है। इस तरह के सशक्तिकरण की प्रकृति और 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक परीक्षा आयोजित करने की पृष्ठभूमि में, बोर्ड 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' की प्रक्रिया को अपनाने का हकदार था। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, 'अंकों के मापन' या सामान्यीकरण की प्रक्रिया तत्काल मामले में अपरिहार्य थी और आवश्यक रूप से आवश्यक थी

लिया गया। [पैरा 43] [97-जी-एच; 98-ए-बी]

3.1 . संबंधित की साधारण भाषा के अनुसार जाना

प्रत्येक विषय और राज्यों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, "उपरोक्त प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे"। नियम 15 (ई) बोर्ड से "खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर" उम्मीदवारों की प्रत्येक श्रेणी की एक चयन सूची तैयार करने की अपेक्षा करता है। साधारण भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रावधानों में अलग-अलग मानदंडों या सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 45] [98-एफ-एच] 3.2 . यदि कोई नियम 15 (बी) और 15 (ई) में 'अंक' अभिव्यक्ति को दोनों चरणों में 'कच्चे अंक' के रूप में समझता है, तो यह बहुत ही बुनियादी विचार के खिलाफ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से उत्पन्न होने वाली परिवर्तनशीलता के कारण 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' की प्रयोज्यता की मांग करता है।

अतुल कुमार द्विवेदी

परीक्षाएँ। इस प्रकार, यदि दोनों चरणों में 'कच्चे अंक' का आधार होना है, तो उम्मीदवारों का कभी भी समान आधार या आधार पर परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसलिए, निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक की आवश्यकता होगीः - या तो इन दोनों प्रावधानों में अभिव्यक्तियों 'अंकों' को सामान्यीकरण या 'सामान्यीकृत अंक' को अपनाने के बाद के अंक के रूप में मानना, या उत्तरदाताओं द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम को स्वीकार करना और नियम 15 (बी) में अभिव्यक्ति 'अंकों' को 'कच्चे अंक' के रूप में समझना और नियम 15 (ई) स्तर पर सामान्यीकरण को लागू करना केवल अंतर योग्यता स्थिति पर विचार करने के लिए। [पैरा 46] [99-ए-सी]

3.3 . तथापि, यदि प्रस्तुतिकरण द्वारा आगे बढ़ाया जाता है

उत्तरदाताओं को स्वीकार कर लिया जाता है, यह तीन पर विसंगतियों को जन्म देगा गिनती है। इससे ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि कोई व्यक्ति अंतिम विश्लेषण में, यानी 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' को अपनाने के बाद, 50 प्रतिशत से अधिक 'सामान्यीकृत' करने में विफल रहा हो।

किसी विषय या विषय में अंक प्राप्त करें और फिर भी वह चयन सूची का हिस्सा होगा। दूसरा, जिन लोगों ने 50 प्रतिशत से अधिक 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए हैं, लेकिन 50 प्रतिशत से कम 'कच्चे अंक' प्राप्त किए हैं, वे गणना से बाहर होंगे क्योंकि उन्हें नियम 15 (बी) चरण से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंत में, इस तरह के पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप से यह संकेत होगा कि "उपरोक्त प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे" [के रूप में

नियम 15 (बी) में उपस्थित होने पर "खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर" चयन सूची तैयार करने के खिलाफ अलग तरीके से व्यवहार करना होगा। [पैरा 47] [99-सी-एफ]

3.4 . यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नियम 15 (बी) में निर्दिष्ट अयोग्यता 'भर्ती' के खिलाफ है। पात्रता के मानदंड केवल 15 (सी) और 15 (डी) तक के चरणों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें भर्ती तक पूरा किया जाना चाहिए। नियम 15 (ई) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का विशिष्ट और स्पष्ट संदर्भ देता है।

खंड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में। प्रयुक्त क्रिया 'प्राप्त' है। दोनों स्थानों पर यानी नियम 15 (बी) और नियम 15 (ई) में। दोनों चरणों में लिखित परीक्षाओं में 'प्राप्त' अंकों को संदर्भित किया जाता है -

खंड (बी), (i) नियम 15 (बी) के संदर्भ में भर्ती के लिए पात्र होने और (ii) नियम 15 (ई) के तहत चयन सूची तैयार करने के लिए प्रासंगिक मानदंड हैं। सुझाउ के अनुसार एक अलग पैमाना अपनाना

उत्तरदाताओं द्वारा निश्चित रूप से असंगत स्थितियों की ओर ले जाएगा जैसा कि कहा गया है। [पैरा 48] [99-जी-एच; 100-ए] [2022] 1 एस. सी. आर.

4. यह सच है कि किसी कानून में अलग-अलग स्थानों पर दिखाई देने वाली एक ही अभिव्यक्ति का, कुछ अवसरों पर, निम्नलिखित अर्थ लगाया गया है -

यह न्यायालय अलग तरह से, उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं। इस प्रकार, यह संदर्भ है जिसे निर्धारित करना चाहिए

6. यदि इरादा यह देखना है कि प्रत्येक उम्मीदवार ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होने चाहिए और वे उम्मीदवार इसमें विफल रहे हों। उपरोक्त विषयों में से प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना भर्ती नियमों के नियम 15 (बी) द्वारा या अधिसूचना के अनुच्छेद 9 द्वारा अनिवार्य रूप से भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा, यहां तक कि संदर्भ और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के अनुसार भी, अभिव्यक्ति 'अंक' को दोनों चरणों में समान अर्थ दिया जाना चाहिए; और एकमात्र संभावित अर्थ जिसे 'सामान्यीकृत' कहा जा सकता है।

स्कोर '। उत्तरदाताओं द्वारा सुझाए गए विभिन्न मानकों को अपनाने से विसंगत परिस्थितियाँ पैदा होंगी। अगर अभिव्यक्ति 'निशान' दिखाई देती है तो ऐसी विसंगति दूर हो जाएगी। नियम 15 (बी) और 15 (ई) चरणों को एक ही प्रकाश में और 'सामान्यीकृत अंक' के रूप में माना जाता है। [पैरा 52] [102-जी-एच; 103-ए-सी]

7. अंत में, प्रारंभिक चरण में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने में बोर्ड द्वारा की गई कवायद, अर्थात

कहने के लिए, भर्ती नियमों के नियम 15 (बी) के स्तर पर कानून की आवश्यकताओं के साथ काफी सुसंगत था। बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर थी और जैसा कि उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रक्रिया के किसी भी मोड़ पर दुर्भावनापूर्ण या निष्पक्षता के अभाव का कोई आरोप नहीं था। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा राज्य सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णय।

अतुल कुमार द्विवेदी

आयोगों में तब तक हल्का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सत्ता के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरण नहीं बनाए जाते। [पैरा 53] [103-सी-ई]

8. उच्च न्यायालय के फैसले को तदनुसार दरकिनार कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा 28 फरवरी 2019 को घोषित परिणाम अब जल्द से जल्द प्रभावी किए जाएंगे। हालाँकि, राज्य और बोर्ड ने दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनुमति दी थी, अर्थात जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक 'कच्चे अंक' प्राप्त किए थे और साथ ही जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए थे। ऐसे उम्मीदवारों ने आगे के सभी चरणों में भाग लिया था, अर्थात्,

कि उन्होंने 50 प्रतिशत से कम 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए थे। राज्य बाद में अयोग्य ठहराए गए ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में कुछ भत्ते देने पर विचार कर सकता है। अगले चयन में भार और/या आयु में छूट। [पारस 54,55] [103-एफ-एच; 104-ए]

एस. सी. आर. 235; सुनील कुमार और अन्य बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य (2016) 2 एस. सी. सी. 495; महिंदर कुमार और अन्य। वी. मध्य का उच्च न्यायालय प्रदेश और ओआरएस। (2013) 11 एस. सी. सी. 87; आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम। वेंकटेश्वर हैचरीज (पी) लिमिटेड (1999) 3 एससीसी 632 [1999] 2 एससीआर 177; और

शामराव विष्णु पारुलेकर बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, थाना [1956] एस. सी. आर. 644-ने भरोसा किया।

P.Singaravelan और अन्य बनाम जिला कलेक्टर,

तिरुपुर और डीटी और अन्य (2020) 3 एससीसी 133; पी. सी. जी. गोविंदन बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1987) 7 एससीसी 625; उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से इसके अध्यक्ष वी. ओमादित्य वर्मा और अन्य (2005) 4 एससीसी 424: [2005] 3 एस. सी. आर. 166; उड़ीसा राज्य और एक अन्य v. धीरेंद्र सुंदर दास और अन्य (2019) 6 एससीसी 270 [2019] 7 एससीआर 197; यू. पी. लोक सेवा

आयोग v. सुभाष चंद्र दीक्षित और अन्य 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार यादव और एक अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 706-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 1 एससीआर 235

पै

रा 21 (जी)

उस पर भरोसा करें

(2020) 3 एससीसी 133

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

(1987) 7 एस. सी. सी. 625

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2005] 3 एससीआर 166

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2019] 7 एससीआर 197

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2003] 5 पूरक। एससीआर 210

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(2013) 11 एससीसी 87

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

(2016) 2 एससीसी 495

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

(2018) 3 एस. सी. सी. 706

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1999] 2 एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[1956] एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.228

2022 .

उच्च न्यायालय के 11.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के डब्ल्यू. ए. No.23733 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 और 2022 का 235। तुषार मेहता, एसजी, विनोद दिवाकर, एएजी, विनय नवारे, पल्लव

शिशोदिया, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वी. गिरि, पी. एस. पटवालिया, डॉ. ए. एम. सिंघवी, राकेश द्विवेदी, कपिल सिब्बल, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, डॉ. राजीव धवन, हरीश एन. साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अक्षत श्रीवास्तव, कृष्णा एम. सिंह, राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, डी. के. देवेश, सुश्री पूजा, रवि शंकर झा, दुर्गा दत्त, रोहित प्रियदर्शी, डॉ. सुषमा सिंह, राकेश कुमार सिंह, सोमेश कुमार दुबे, अमरेंद्र चौबे, उपेंद्र नारायण मिश्रा, कौसिक घोष, सुश्री शुचि सिंह,

कृष्ण कांत दुबे, जैनेंद्र कुमार ओझा, संजय कुमार

दुबे, राकेश कुमार तिवारी, प्रशांत शुक्ला, सुयश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम।

अतुल कुमार द्विवेदी

यादव, डॉ. अजय कुमार, एम. शोएब आलम, अमित के. रंजन, पिंकेश कुमार, मोजाहिद करीम खान, सुश्री आकांक्षा राय, सुश्री अपेक्षा राय, सुश्री यशोदा कटियार, सुश्री नृत्य पांडे, कृष्णा एम. सिंह, विशाल सिंघल, रवलीन छाबड़ा, आनंद नंदन, हसन जुबैर वारिस, अमित पवन, सुश्री निधि अग्रवाल, पंकज शर्मा, नीरज कुमार शर्मा, मनीष वशिष्ठ, डॉ. बी. रामास्वामी, दानिश जुबैर खान, मुकेश कुमार, सुश्री ऋचा कपूर, कुणाल आनंद, बद्री प्रसाद सिंह, शिवेंद्र सिंह, प्रदीप मिश्रा, रणधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

छुट्टी दे दी गई।

1. ये अपीलें अंतिम निर्णय और दिनांकित आदेश से उत्पन्न होती हैं।

11.09.2019 उच्च न्यायालय द्वारा पारित 1.

2. राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी

उत्तर प्रदेश पुलिस में उप-पुलिस निरीक्षक के 2400 पदों, प्लाटून कमांडर (पी. ए. सी. 2) के 210 पदों और अग्निशमन अधिकारी (ग्रेड-2) के 97 पदों को भरने के लिए पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र। भर्ती की प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पर विचार किया गया, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा से संबंधित अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार थाः

" 4. भर्ती की प्रक्रिया

यह भर्ती उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक के अधीन की जाती है और निरीक्षक (पुलिस) सेवा (पहला संशोधन) नियम पुस्तिका-2015।

4.1 ऑनलाइन लिखित परीक्षा

वे सभी आवेदक जिनके आवेदन सही पाए गए हैं

और स्वीकार किए जाने पर 400 अंक ऑनलाइन लेने की उम्मीद की जाएगी।

लिखित परीक्षा। इस परीक्षा में प्रश्न आधारित प्रश्न होंगे।

नीचे सूचीबद्ध 4 विषयों पर और कई विकल्पों पर आधारित होंगे।

प्रश्न टाइप करें।

अधिकत

म अंक

श्री. नहीं। विषय

सामान्य हिंदी

1

100

निशानियाँ

कानून/संविधान/सामान्य ज्ञान

2

100

निशानियाँ

3

गणित और मानसिक क्षमता परीक्षा

100

निशानियाँ

100 निशानियाँ

जाँच /

मानसिक

4

ब्याज

विचार-मंथन परीक्षा/तर्क

आधारित परीक्षा

परीक्षा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। के आधार पर आवेदकों की संख्या लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी

1 2018 के लिखित आवेदन No.23733 और अन्य सभी संबंधित मामलों में इलाहाबाद का उच्च न्यायालय।

2 प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

एक दिन और एक सत्र पर, या एक दिन कई सत्रों पर या कई दिन कई सत्र। प्रत्येक सत्र के लिए प्रश्न पत्र

अलग होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में है संलग्नक-1. यदि ऑनलाइन परीक्षा पूरी होने के बाद

बोर्ड द्वारा आमंत्रित आवेदक कोई आपत्ति करता है तो वह

एक पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यदि आपत्ति की गई है सही पाया गया तो राशि वापस कर दी जाएगी।

2.1 इसी तरह की अधिसूचना उसी तारीख को प्रकाशित की गई थी।

0 महिला उम्मीदवारों के लिए उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के पद।भर्ती प्रक्रिया को अधिसूचना के पैरा 4 में निपटाया गया था

"ऑनलाइन लिखित परीक्षा" से संबंधित भाग समान था।

आरए 4.1 यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है।

3. इन विज्ञापनों के जवाब में, 6,30,926 आवेदक

उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए। बड़ी संख्या को देखते हुए

जिन उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की थी, एक अधिसूचना थी28.6.2017 पर शेड किया गया, जिसका अनुवादित हिस्सा नीचे दिया गया थाः

" सूचना/विज्ञप्ति

तारीखः 28 जून, 2017

No.PRPB-अनु-6-पी-18/2016

पदों पर सीधी भर्ती 2016 के लिए पुरुषों के लिए

1 .

उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमांडर

पी. ए. सी. और फायर ब्रिगेड द्वितीय अधिकारी और भरने के लिए

2400 उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के लिए 210 पद प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. के लिए और फायर के लिए 97 पद

आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी तरह उप-निरीक्षक के पद के लिए महिलाओं के लिए

2 .

महिलाओं से उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

3. उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के पदों पर पुरुषों के लिए,

प्लाटून कमांडर, पी. ए. सी. और फायर ब्रिगेड द्वितीय

प्रत्यक्ष भर्ती के तहत अधिकारी-2016 कुल 5,42,124 उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए पद भरने के लिए

प्रत्यक्ष के तहत उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के लिए

भर्ती-2016,88,802 अर्थात। कुल 6,30,926 उम्मीदवारों के पास था आवेदन किया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उप-निरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. और फायर ब्रिगेड द्वितीय अधिकारी के पदों पर

प्राप्त अंकों की वरिष्ठता के आधार पर प्रत्यक्ष ऑनलाइन लिखित परीक्षा इस परीक्षा को चलाया जा रहा है /

उसी तरह से संगठित होने की आवश्यकता आ गई है। प्रत्येक बैठक का प्रश्न पत्र अलग होगा जिसमें समानता और ध्यान में रखने की संभावना नहीं हो सकती है

उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न प्रश्न पत्रों में समान रूप से प्रयुक्त मानकीकृत सम-प्रतिशत द्वारा प्राप्त अंकों "एमएएच-एमबीए/एमएमएस सीईटी 2015" का सामान्यीकरण।

विधि से यह किया जाएगा।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण इस प्रकार होगाः

नहीं।

विषय

अधिकतम की संख्या

समय

सवाल-जवाब

निशानियाँ

1

सामान्य हिंदी

40

100

2.00 घंटे

कम्पोजिट

समय

मूल विधि संविधान

24

2

100

सामान्य ज्ञान

16

सांख्यिकी और मानसिक 40

100

3

पात्रता परीक्षा

4

मानसिक रुचि परीक्षा/40

100

बुद्धिमानी से उपलब्धता परीक्षा /

तार्किक परीक्षा

कुल

कुल

प्रत्येक प्रश्न =

2.00 घंटे

सवाल-जवाब

निशानियाँ

2.50 निशानियाँ

160

400

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक तय किए जाते हैं या किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। किसी भी विषय में किसी भी प्रश्न को रद्द करने के मामले में रिट याचिका No.2669/2009 (MB) में मूल्यांकन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

- पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा

स्थापित कानून और व्यवस्था के अनुसार।

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

9 .

भर्ती प्रक्रिया के लिए ऐसा करने में विफल रहने पर वह पात्र नहीं होगा। सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर प्रश्न पत्र में

10 .

अन्य विषयों का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। लॉगिन स्क्रीन पर अन्य मूल भाषा में कोई भी प्रश्न चुना जाएगा जिसे देखा जा सकता है। किसी भी संदेह के मामले में अंग्रेजी अनुवाद होगा

स्वीकार्य "।

4. आई. डी. 1 की अधिसूचना के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि प्राप्त अंकों का मानांकन, एम. ए. एच.-एम. बी. ए./एम. एम. एस. सी. ई. टी. 2015 में उपयोग की जाने वाली "मानकीकृत प्रतिशत विधि" के अनुसार किया जाएगा।

इसलिए इस स्तर पर प्रासंगिक निर्धारित करना प्रासंगिक हो सकता है।

एम. ए. एच.-एम. बी. ए./एम. एम. एस. सी. ई. टी. 2015 से संबंधित प्रश्न। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, बाई द्वारा दिए गए निर्देश 1 थेः

" एम. ए. एच.-एम. बी. ए./एम. एम. एस.-सी. ई. टी. के लिए पंजीकरण के निर्देश

2015 उम्मीदवार द्वाराः
एम. ए. एच.-एम. बी. ए./एम. एम. एस.-सी. ई. टी. 2015 केवल इन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

1 .

कई सत्रों में ऑनलाइन मोड। सक्षम।

प्राधिकरण, मानकीकृत सम-प्रतिशत विधि का उपयोग करते हुए, सत्रों में अंकों की बराबरी करेगा।

सूचना विवरणिका समतुल्य पर पहुँचने के मुद्दे से निपटती थी

निम्नानुसारः

एक उम्मीदवार द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या

" ((i)

प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पहुंचने के लिए माना जाता है

सही अंक।

((ख)

एक उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए सही अंक बनाए जाते हैं

विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, में मामूली अंतर का ध्यान रखने के बराबर

समतुल्य अंकों पर पहुंचने के लिए सत्र।

*

[2022] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंकों के वितरण पर विचार करके आधार प्रपत्र के बराबर माना जाता है

सभी रूप।

परीक्षण के अनुसार अंक और कुल अंक दशमलव के साथ सूचित किए जाते हैं।

(iii)

दो अंकों तक इंगित करता है।

कृपया ध्यान दें कि यहाँ दिखाए गए प्रश्नों के प्रकार केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। वास्तविक परीक्षा में आपको इनमें से कुछ या सभी प्रकारों पर उच्च कठिनाई स्तर के प्रश्न मिलेंगे और उन प्रकारों पर भी प्रश्न मिलेंगे जो नहीं हैं।

यहाँ उल्लेख किया गया है "।

5. लिखित परीक्षा 12 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी।

2017 29 अलग-अलग बैठकों में दूसरे शब्दों में, छात्रों के 29 अलग-अलग बैच लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जहां प्रश्न पत्र अलग-अलग थे। लिखित परीक्षा के पूरा होने के बाद, 11741 छात्रों को "शारीरिक मानक परीक्षा" और "शारीरिक दक्षता परीक्षा" में भाग लेने के लिए आगे के चरणों के लिए बुलाया गया था। इस संख्या में 5461 उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक वास्तविक अंक प्राप्त किए थे, जिसे बाद में "कच्चे अंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा; जबकि 5713 उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के बाद 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। अधिसूचना दिनांक 28.06.2017 के पैरा 4 में निर्धारित सामान्यीकरण को अपनाया गया था, जिसे इसके बाद "सामान्यीकृत अंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

इन सभी 11741 उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

6. अक्टूबर, 2018 में, 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुछ उम्मीदवारों द्वारा उच्च न्यायालय में 2018 की रिट याचिका दायर की गई थी यह दर्शाते हुए कि बोर्ड 3 ने उन सभी उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी करके सामान्यीकरण प्रक्रिया को गलत तरीके से लागू किया था, जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक कच्चे अंक प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक सामान्यीकृत अंक प्राप्त किए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत से अधिक कच्चे अंक प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन केवल सामान्यीकृत अंकों की मदद से 50 प्रतिशत को पार कर सकते थे, उन्हें योग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता था और उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाना आवश्यक था।

बोर्ड 3 के सदस्य सचिव द्वारा उक्त रिट याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा गया थाः

3 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और संवर्धन बोर्ड, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।] " 10. कि वर्तमान चयन में सभी उम्मीदवार जिनके पास है

कच्चे अंकों की श्रेणी में या उसके बाद 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

प्रत्येक विषय में सामान्यीकरण की प्रक्रिया ऐसे उम्मीदवार

भर्ती के अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है

दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के रूप में और

बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है

कानून के अनुसार और वर्तमान रिट याचिका के रूप में

किसी भी गुण से रहित है और उसमें लिए गए आधार नहीं हैं

बल और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका खारिज होने योग्य है।

7. 28.02.2019 पर, चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था

लाल जिसमें निम्नलिखित आठ सूचियाँ शामिल थीं:

" (i) सूची 1-उप के पद के लिए 2181 चयनित उम्मीदवारों की सूची इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. और फायरमैन

दूसरा अधिकारी। ((ii) सूची 2-उप-पदों के लिए 2181 चयनित उम्मीदवारों की संयुक्त योग्यता सूची।

इंस्पेक्टर (पुलिस), प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. और फायरमैन सेकंड

अधिकारी।

(iii) सूची 3-उप-पदों के लिए 2181 चयनित उम्मीदवारों की संयुक्त योग्यता सूची। इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. और फायरमैन

- द्वितीय अधिकारी श्रेणियाँ।

((iv) सूची 4-उप निरीक्षक के लिए चयनित 1943 उम्मीदवारों की सूची।

(सिविल पुलिस)। (v) प्लाटून कमांडर पी. ए. सी. के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करें।

(vii) सूची 7-गैर-चयनित उम्मीदवारों की सूची। (viii) सूची 8-लिखित में असफल घोषित उम्मीदवारों की सूची

जाँच। "

8. इसके बाद, रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन

3733 2018 की याचिका दायर की गई थी और निम्नलिखित प्रार्थना की गई थी

डीः -

" (iii-a) प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

और दिनांकित 28.02.2019 के आक्षेपित परिणाम को रद्द कर दें (अनुलग्नक-8)

याचिकाकर्ताओं के नाम दिखाने वाली सूची-बी के संबंध में। 1 , 2 , 4 , 12 , 21 , 26 , 41 , 61 , 62 , 63 , 70 , 80 , 81 , 82 , 84 , 90 , 94 , 97 , 98 और 99 भी जैसा कि अन्य उम्मीदवार लिखित परीक्षा में विफल रहे। "[2022] 1 एस. सी. आर.

उपरोक्त संशोधन आवेदन को एकल द्वारा अनुमति दी गई थी

ई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से।

9. कुछ असफल उम्मीदवारों ने 2019 की रिट याचिका 0.6540 (मनीष कुमार यादव और 49 अन्य) भी दायर की थी। वी. यू. पी. राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव। घर लखनऊ और अन्य।) उच्च न्यायालय के लखनऊ एच के समक्ष।उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उक्त रिट याचिका के लिए दायर किए गए दिनांक 23.03.2019 के जवाब में,

एस प्रस्तुत किए गएः

" यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों द्वारा किया गया है और इसका मूल्यांकन विभिन्न परीक्षकों द्वारा किया गया है

और इस तरह यू. पी. लोक सेवा आयोग द्वारा स्केलिंग प्रणाली को अपनाया गया है। अतः द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय

याचिकाकर्ता लागू नहीं होते हैं।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि विचाराधीन चयन ऑनलाइन आयोजित किया गया है, लेकिन उपरोक्त ऑनलाइन परीक्षा में विषय में कोई अंतर नहीं है, हालांकि, उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग पालियों में आयोजित की गई थी, क्योंकि विभिन्न स्तरों के कठिनाइयों वाले पेपरों के इस तरह के अलग-अलग सेट का उपयोग किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न पेपरों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के अंकों के सामान्यीकरण के लिए, मानकीकृत समान-प्रतिशत विधि लागू की गई है। जहाँ परीक्षा अलग-अलग तिथियों, अलग-अलग पालियों और विभिन्न पेपरों में आयोजित की गई थी। विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में सामान्यीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई सामान्यीकरण प्रक्रिया कानूनी है।

और उचित "।

10. 2019 की उक्त रिट याचिका No.6540 और अन्य संबंधित आरएस में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एक अंतरिम आदेश पारित किया

. 2019 , जिसका सक्रिय भाग थाः

" एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रावधान किया गया है कि सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक, चयनित लोगों को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार चयन सूची/परिणाम दिनांक 28.02.2019 के अनुसार, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में निहित है, हालांकि, चयन की प्रक्रिया जो राज्य द्वारा की जा रही है

अधिकारी आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

11. चयनित उम्मीदवारों द्वारा विशेष अपील (दोषपूर्ण) को प्राथमिकता देकर दिनांकित वन आदेश 30.03.2019 को चुनौती दी गई थी

10 2019 का (सत्येंद्र कुमार सिंह और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

जोड़ें। मुख्य सचिव, विभाग। घर और ओआरएस)।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने संबंधित उम्मीदवारों और राज्य सरकार द्वारा दायर प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया और एनजीएल न्यायाधीश द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों को संशोधित किया। डिवीजन एच द्वारा पारित आदेश का परिचालन भाग थाः

..... प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि भर्ती की प्रक्रिया, जो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसके लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है।

अदालत द्वारा। यह विवाद में नहीं है कि समान-प्रतिशत पद्धति के नियम की शुरुआत को दिनांकित 28.06.2017 के नोटिस के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, यानी परीक्षा आयोजित होने की तारीख से पहले और किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने उक्त पर हमला नहीं किया था। कार्यप्रणाली. परीक्षा में उपस्थित होने के बाद और अंतिम चयन सूची की घोषणा के बाद, ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिरौती के लिए रोकना उचित नहीं होगा।

हालांकि, किसी भी बनाने के गुणों में प्रवेश किए बिना

यह उचित है कि इस विशेष अपील में दिए गए निर्देशों के अधीन, प्रतिवादी संख्या 2 यानी यू. पी. पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है, जो विद्वान के समक्ष लंबित रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

एकल न्यायाधीश।

अपीलार्थी और अन्य चयनित उम्मीदवार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपना वचन देंगे कि वे नियुक्ति पर किसी ग्रहणाधिकार या अधिकार का दावा नहीं करेंगे और उनकी नियुक्तियां विशुद्ध रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगी। अपीलार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध होने की अगली तारीख से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जो अभिवचनों के आदान-प्रदान पर विचार करेंगे कि इसमें शामिल मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। उसके समक्ष लंबित रिट याचिकाएँ।

12. नतीजतन, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. डिवीजन बेंच द्वारा पारित 27.05.2019 के आदेश को कुछ उम्मीदवारों द्वारा 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.13551 (मनीष कुमार यादव और अन्य) को प्राथमिकता देकर चुनौती दी गई थी। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए 12.06.2019 पर इस न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष आयाः -

" हम आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाते हैं

डिवीजन बेंच ने आपत्ति जताई। चयनित उम्मीदवारों ने एक वचन दिया है कि वे नियुक्तियों पर किसी भी ग्रहणाधिकार या अधिकार का दावा नहीं करेंगे जो रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा।

विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जाता है।

हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे एक विशेष खंड पीठ का गठन करें जो आवश्यक अनुमति दिए बिना दिन-प्रतिदिन के आधार पर रिट याचिका पर तेजी से सुनवाई करे।

स्थगन और रिट याचिका का शीघ्रता से निपटान करना

अधिमानतः तारीख से तीस दिनों के भीतर यथासंभव

न्यायपीठ का गठन।

विशेष अनुमति याचिका और लंबित आवेदन तदनुसार हैं।

निकाल दिया "।

14. इसके बाद इलाहाबाद में एक विशेष खंड पीठ का गठन किया गया। इसी तरह, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक विशेष पीठ का भी गठन किया गया था। में गठित विशेष खंड पीठ इलाहाबाद ने 2018 की रिट याचिका No.23733 और अन्य संबंधित मामलों को अपने निर्णय और दिनांक 11.09.2019 के आदेश द्वारा अनुमति दी, जिसे वर्तमान में चुनौती दी जा रही है।

14.1 दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ थीं

इलाहाबाद में विशेष खंड पीठ द्वारा संक्षेप में कहा गया हैः

" 61. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को विस्तार से नोट करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को संक्षेप में कहा जा सकता है संक्षेप में इस प्रकार हैः

(i) चयन बोर्ड को भर्ती नियमों के तहत केवल लिखित प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सीमित शक्ति प्रदान की गई है।

जाँच;

((ii) चयन बोर्ड के पास शक्ति और अधिकार नहीं है।

चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए जो निर्धारित की गई है

नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा; उत्तर प्रदेश राज्य v.

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

(iii) एक उम्मीदवार द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की पात्रता शर्त नियमों के तहत अनिवार्य एक पूर्ववर्ती शर्त है, जो सामान्यीकृत अंक द्वारा किसी भी परिवर्तन या प्रतिस्थापन के अधीन नहीं है; (iv) सामान्यीकरण मूल्यांकन की एक विधि है जो लिखित परीक्षा के दायरे में आती है और पात्रता की शर्त नहीं है, चयन सूची तैयार करने के लिए सबसे अच्छे सामान्यीकृत अंक का उपयोग किया जा सकता है।

योग्यता का क्रम;

(v) योग्य उम्मीदवारों को समाप्त करके चयन बोर्ड

आवेदन करके प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों

सामान्यीकृत अंक भर्ती नियमों द्वारा निहित अपनी शक्ति और अधिकार से अधिक था;

62. उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियों के खंडन में, कर सकते हैं

संक्षेप में निम्नलिखित के रूप में संक्षेपित किया जाए:

(i) चयन बोर्ड के पास शक्ति और अधिकार निहित है -

कई तिथियों/कई पालियों में आयोजित लिखित परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को बराबर करें

अलग-अलग कागजात;

((ii) चयन बोर्ड के पास सभी उम्मीदवारों को एक पद पर रखने के लिए अंकों को बराबर करके एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाने की अंतर्निहित शक्ति है।

((iv) कठिन पेपरों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति

अपेक्षाकृत आसान प्रश्न पत्र। नियम 15 के उपखंड (बी) और (ई) में उपयोग किए गए "अंक" शब्द का अर्थ होगा और इसमें सामान्यीकृत शब्द शामिल होंगे।

निशानियाँ।

(v) चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए नहीं आ सकते हैं।

63. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं।

14.2 जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना था, उन्हें तैयार किया गया था: -

" ((i) क्या चयन बोर्ड अपनी शक्ति और अधिकार के भीतर था।

निर्धारित करने के लिए सामान्यीकृत प्रतिशत अंक लागू करने में

उम्मीदवारों की पात्रता या वैकल्पिक रूप से

चयन बोर्ड ने [2022] 1 एस. सी. आर. को बदलने/प्रतिस्थापित करने के अपने अधिकार का उल्लंघन किया।

नियम के उपखंड (बी) में अनिवार्य पात्रता मानदंड (50 प्रतिशत अंक)

15 सामान्यीकृत अंक से गैर-सूट तक, ऐसे सभी उम्मीदवारों से

भर्ती प्रक्रिया जिसने 50 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों; ((ii) मानकीकृत न्यायसंगत न्याय की न्यायिक समीक्षा का दायरा।

चयन बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रतिशत विधि "।

14.3 . अपने फैसले के पैराग्राफ 66 में, विशेष खंड पीठ

एड भर्ती नियमों का नियम 15:

“ ” उप के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया इंस्पेक्टरः

15. (क) आवेदन पत्र और कॉल लेटरः

एक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्र भरना होगा। बोर्ड करेगा केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें। उम्मीदवारों का आवेदन, जो

एक से अधिक प्रपत्र भरें, जिसे बोर्ड द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। द हेड विभाग, बोर्ड के परामर्श से, एक तय करेगा

किसी भी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। भरने की विस्तृत प्रक्रिया आवेदन पत्र और कॉल लेटर जारी करने का निर्धारण किया जाएगा।

बोर्ड द्वारा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सरकार किसी भी पद के लिए रिक्तियों की संख्या बदल सकती है।

पहली परीक्षा से पहले किसी भी समय भर्ती और बिना भर्ती के किसी भी समय या चरण में किसी भी भर्ती को रद्द करें

(ख) लिखित परीक्षा जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए गए हैं, उनकी आवश्यकता होगी।

400 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना। इस लिखित परीक्षा में,

बोर्ड एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखेगा निम्नलिखित विषयः

विषय

अधिकतम अंक

सामान्य हिंदी

100 निशानियाँ

(उद्देश्य प्रकार)

बुनियादी कानून/संविधान/सामान्य

100 निशानियाँ

ज्ञान

(उद्देश्य प्रकार)

संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण

100 निशानियाँ

(उद्देश्य प्रकार)

मानसिक योग्यता परीक्षण/आई. क्यू. परीक्षण /

100 निशानियाँ

(उद्देश्य प्रकार)

तर्क करना

जे. पी. उप निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए।

(ग) दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षणः खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा में उपस्थित होना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए

रिक्तियों की कुल संख्या, बोर्ड अपने स्तर पर इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या योग्यता के आधार पर तय करेगा। उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार हैंः 1. पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैंः

((क) ऊँचाईः

XXXXXX

(ख) छातीः

XXXXXX

2. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैंः ((क) ऊँचाईः

XXXXXX

(ख) वजनः

XXXXXX

इस परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक उप-कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा, समिति के अन्य सदस्य [2022] 1 एस. सी. आर. होंगे।

चयन बोर्ड द्वारा अनुरोध किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित। इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

XXX

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षणः खंड (सी) के अनुसार दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होना होगा, जो योग्यता प्रकृति का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया होगी -

बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षा के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

बोर्ड। (ङ) चयन और अंतिम योग्यता सूचीः

शारीरिक रूप से सफल पाए गए उम्मीदवारों में से

बोर्ड की वेबसाइट। विभाग का प्रमुख अपनी मंजूरी के बाद बोर्ड द्वारा भेजी गई सूची को आगे की कार्रवाई के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को भेजेगा। ध्यान दें: -XXXXXXXX

(च) चिकित्सा परीक्षणः

जिन उम्मीदवारों के नाम खंड (ई) के अनुसार चयन सूची में हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के लिए, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगे, जिसमें 3 डॉक्टर होंगे, जो "पुलिस भर्ती चिकित्सा" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा आयोजित करेंगे।

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा राज्य के महानिदेशक के परामर्श से विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित और संहिताबद्ध परीक्षा प्रपत्र।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

स्वास्थ्य। कोई भी उम्मीदवार जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, जाँच के दिन ही अपील दायर कर सकते हैं। XXXXXXX द

चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को

नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अयोग्य घोषित और ऐसी रिक्तियां

अगले चयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

(जोर दिया गया)

14.4 विशेष खंड पीठ इससे संतुष्ट नहीं थी

अधिसूचना दिनांक 28.06.2017 और सी. एच. के प्रासंगिक भागों का उल्लेख करते हुए, इसने अधिसूचना के पैराग्राफ 4 और 9 का अनुवाद इस प्रकार कियाः

" 4. सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, प्लाटून कमांडर, पी. ए. सी. और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय का संचालन किया जा रहा है।

द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में योग्यता के आधार पर

उम्मीदवार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल होते हैं। नज़र में

उम्मीदवारों की संख्या, ऑनलाइन आयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है

विभिन्न पालियों में एक से अधिक तिथियों पर लिखित परीक्षा

कागज़ों के अलग-अलग सेट। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र

अलग होगा, और उनके होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए

समान नहीं, द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण

विभिन्न प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को "एमएएच" द्वारा किया जाएगा।

एम. बी. ए./एम. एम. एस. सी. ई. टी. 2015 "मानकीकृत समान-प्रतिशत विधि।

XXX XXX XXX

9. वे उम्मीदवार जो प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं विषय भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

14.5 विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ताओं का सारांश इस प्रकार थाः

" 14. विद्वान वकीलों के तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत करना वरिष्ठ अधिवक्ता	दोनों पक्षों, श्री आर. के. ओझा, विद्वान
इसके तहत बशर्ते कि चयन मानदंडों पर किया जाएगा प्रतिशत अंक	लिखित परीक्षा में योग्यता के 50
दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण होगा	उक्त मानदंडों पर तैयार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. दिनांकित 28.06.2017 (जो हिंदी में जारी किया गया था) अधिसूचना में, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने प्राप्त नहीं किया था

50 % अंकों को अयोग्य ठहराया जाएगा और उन्हें योग्य उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाएगा। पैराग्राफ नं. '4 ' उक्त अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया था कि प्रश्न पत्र को एक इकाई के रूप में लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का सामान्यीकरण चयनित उम्मीदवारों की अंतर-योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से समान प्रतिशत विधि लागू करके किया जाएगा। चयन बोर्ड ने उन सभी उम्मीदवारों को बाहर करके अंतिम योग्यता सूची तैयार करने में अवैधता की थी, जिन्होंने प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत सामान्यीकृत अंक (समान-प्रतिशत विधि लागू करके) प्राप्त नहीं किए थे, हालांकि उन्होंने लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक चार विषयों में 50 प्रतिशत वास्तविक/कच्चे अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार, भर्ती नियमों के नियम 15 (सी) के अनुसार "शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज़ की जांच" के अगले चरण में भाग लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने के लिए योग्य थे। चयन प्रक्रिया के दौरान चयन के मानदंडों में बदलाव किया गया था, जो इस तय कानूनी प्रस्ताव को देखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि खेल के बीच में खेल के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

14.6 राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

" 43. श्री मनीष गोयल, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता-प्रतिवादी और चयन बोर्ड, विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों के जवाब में

याचिकाकर्ताओं और चयन बोर्ड द्वारा अपनाई गई सामान्यीकरण की प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं:

44. पहला निवेदन यह है कि सामान्यीकरण सार्वभौमिक है।

प्रश्न पत्रों के परिवर्तनीय कठिनाई स्तर के मामले में लागू अनुमोदित मानक विधि और इसलिए, इसका आवेदन चयन बोर्ड के मूल्यांकन की शक्ति के भीतर था। प्रत्यर्थी की ओर से दायर किया गया दिनांकित 12.04.2019 का शपथ पत्र रखना

चयन बोर्ड के लिए परीक्षा और तैयार परिणाम। द. कंपनी के विशेषज्ञों/सांख्यिकीविदों ने उत्तर प्रदेश राज्य के साथ और उसके निर्देशों के तहत समतुल्य-प्रतिशत विधि लागू की थी।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

चयन बोर्ड। यह कहना गलत है कि समान-प्रतिशत विधि और प्रतिशत द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंक एक हैं। और वही बात। '100' में से 'Y' का अंतिम मूल्य उम्मीदवारों के प्रतिशत अंक हैं। समान प्रतिशत सूत्र का समीकरण पृष्ठ संख्या में 100 के अंश पर फिर से लिखा गया है। '10 ' (उक्त शपथपत्र का अनुलग्नक सं. 2) नीचे दिया गया है:

Y1 G Y2 Y1 1))। 100

एन. आई.

एल x 100)

Y =

+

एक्स

एन. सी. बी. x 100-1

100 (एनवाईजेडएक्स x 100

100-110

14.7 इस डिवीजन बेंच द्वारा की गई प्रासंगिक चर्चा और निष्कर्ष इस प्रकार थे:

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम; (ii) एक तारीख को एक पाली में या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक तारीख को अलग-अलग पाली में अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ लिखित परीक्षा आयोजित करना। ((ग) लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना। नियम 15 के उपखंड (सी) में प्रावधान है कि "उपखंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में सफल" पाए जाने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

दस्तावेजों की जांच और शारीरिक दक्षता परीक्षण।

79. उपखंड (बी), विशेष रूप से उपखंड (सी) के साथ पहले भाग के संयुक्त पठन पर, यह स्पष्ट है कि चयन बोर्ड को कमजोर करने, बदलने या निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

चयन के बाद के चरणों के लिए उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करने के लिए 'सामान्यीकृत अंक' द्वारा अनिवार्य '50 प्रतिशत अंकों' को प्रतिस्थापित करके एक उम्मीदवार की पात्रता। पात्रता मानदंड निर्धारित करने पर नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सीमित शक्ति प्रदान की। चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी

नियम 15 के तहत नियम बनाने का अधिकार, हालांकि, चयन बोर्ड [2022] 1 एस. सी. आर.

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सीमित शक्ति प्रदान की गई थी। तत्काल मामले के तथ्यों में, चयन बोर्ड ने चयन सूची तैयार करते समय उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सामान्यीकृत अंकों को लागू करके अपने अधिकार और शक्ति को पार कर लिया, न कि कच्चे अंकों को। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक विषय में '50 प्रतिशत अंक' प्राप्त करके लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की।

इसके बाद, चयन बोर्ड द्वारा भर्ती के बाद के चरणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, यानी दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो एक योग्यता प्रकृति की है, कोई अंक आवंटित नहीं किए जाते हैं। तथापि, चयन बोर्ड ने नियम 15 के उपखंड (ख) के घोर उल्लंघन में नियम के तहत अनिवार्य योग्यता अंकों के विपरीत पात्रता अंक निर्धारित करने के लिए सामान्यीकृत अंक लागू करके याचिकाकर्ताओं को समाप्त कर दिया। चयन बोर्ड का आचरण फिर से लिखने के समान है।

अनिवार्य नियम में संशोधन करना, जिससे चयन सूची दूषित हो जाती है।

.....

प्रक्रिया स्वचालित रूप से। जबकि, नियम 15 के उपखंड (ई) में नियोजित वाक्यांश "प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों" का अर्थ यह नहीं होगा और इसमें उम्मीदवार द्वारा अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए प्राप्त अंक शामिल नहीं होंगे, बल्कि उपखंड (बी) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को बराबर करने के बाद योग्यता के क्रम में चयन सूची तैयार करने के लिए 'सामान्यीकृत अंक' अपने तह में ले लेंगे। उपखंड (बी) पात्रता उद्देश्य के लिए नियम द्वारा निर्धारित अंकों को संदर्भित करता है, जबकि उपखंड (ई) अंकों/अंकों को संदर्भित करता है। उपखंड (ख) में निर्दिष्ट अंकों के सामान्यीकरण पर मूल्यांकन पर प्राप्त योग्यता के क्रम में चयन सूची बनाने के उद्देश्य से। कई पालियों में आयोजित परीक्षा में चयन सूची तैयार करने का ऐसा दृष्टिकोण न्यायसंगत और निष्पक्ष होगा। चयन बोर्ड एक विधि अपनाने में अपनी शक्तियों के भीतर है

तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए कई पालियों/विभिन्न पेपर परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में लिखित परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन योग्यता के क्रम में सूची का चयन करें।

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

" प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यही वाक्यांश नियम 15 के उपखंड (ई) में प्रयोग किया गया था जिसे संशोधित किया गया था। दूसरे शब्दों में, पात्रता मानदंड में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया था। नियम बनाने का अधिकार। संशोधन द्वारा लाया गया एकमात्र परिवर्तन यह था कि लिखित परीक्षा की प्रक्रिया चयन बोर्ड को विशेष रूप से परिशिष्ट-3 को छोड़कर सौंपी गई थी, जिसमें लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। हमें सूचित किया जाता है कि प्रतिस्थापित नियम (पूर्व में)

उप-निरीक्षक की नियुक्ति और चयन को नियंत्रित करने वाले भर्ती नियमों का अधिनियमन। उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियम, 2008 ", नियम 15 (च) में प्रावधान किया गया है कि जो उम्मीदवार प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी पूरी तरह से सचेत था

कि उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक (50 प्रतिशत) प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती नियमों को जारी करते समय पात्रता मानदंड को बरकरार रखा गया था। चयन बोर्ड को शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया था

पात्रता मानदंडों को बदलने या संशोधित करने के लिए नियम बनाने वाला प्राधिकरण। संशोधित नियमों द्वारा चयन बोर्ड के पास निहित था लिखित परीक्षा की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए अनन्य, लेकिन सीमित शक्ति, जिसमें कई पालियों में आयोजित परीक्षा में विभिन्न स्तरों के पेपरों को बराबर करने के लिए स्केलिंग की विधि अपनाकर पेपरों का मूल्यांकन करना और तदनुसार, चयन सूची तैयार करना शामिल है। तदनुसार हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि चयन बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।

107. इसलिए, अंकों के सामान्यीकरण का अर्थ है छात्रों द्वारा अलग-अलग समय में प्राप्त अंकों को बढ़ाना और/या कम करना।

सत्र (शिफ्ट) एक निश्चित संख्या में। सांख्यिकी में, सामान्यीकरण शब्द डेटा सेट के स्केलिंग डाउन को संदर्भित करता है जैसे कि [2022] 1 एस. सी. आर.

सामान्यीकृत डेटा 0 और 1 के बीच की सीमा में आता है। इस तरह की सामान्यीकरण तकनीकें संबंधित तुलना करने में मदद करती हैं।

एक सूत्र लागू करके प्राप्त किया जाता है। 108. हालांकि, प्रतिशत को प्रतिशत के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरार्द्ध का उपयोग एक पूरे के अंशों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रतिशत वे मान हैं जिनके नीचे डेटा का एक निश्चित प्रतिशत है

डेटा सेट पाया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्रतिशत अंक दर्शाता है कि कितना अच्छा है

छात्र ने परीक्षा में ही किया, प्रतिशत अंक दर्शाता है कि उसने अन्य छात्रों की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए, प्रतिशत श्रेणी का अर्थ उन अंकों का प्रतिशत होगा जो किसी दिए गए अंक पर या उससे नीचे आते हैं। आम तौर पर निकटतम पूर्ण प्रतिशत को लिखा जाता है और 100 समान आकार के समूहों में विभाजित होते हैं। सबसे कम अंक पहले प्रतिशत पर होता है और उच्चतम अंक 99 वें प्रतिशत पर होता है।

109. यह रिकॉर्ड पर रखना प्रासंगिक है कि किसी भी पीड़ित उम्मीदवार ने चयन बोर्ड या उसके सदस्यों के खिलाफ या उस मामले के लिए समिति द्वारा चयन के बाद के चरणों को आयोजित करने के तरीके या गणना के संबंध में दुर्भावना या ईमानदारी की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया है। मानकीकृत इक्की लागू करके सामान्यीकृत अंक प्राप्त किए गए

प्रतिशत विधि। सामान्यीकरण विधि और लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों के अंकों को मापने में चयन बोर्ड द्वारा प्राप्त अंकों के लिए चुनौती के अभाव में, हम

मान लीजिए कि चयन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया सामान्यीकरण सूत्र और सामान्यीकृत प्रतिशत अंक न्यायसंगत और निष्पक्ष है।

122. विशिष्ट प्रश्न पर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सभी याचिकाकर्ता जिन्होंने 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक (योग्यता अंक) प्राप्त किए थे, उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

चयन के बाद के चरण अर्थात शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि चयन बोर्ड को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी।

योग्यता के लिए चयन सूची तैयार करने में चयन/भर्ती की नई कवायद।

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

123. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

मामला और भर्ती नियमों द्वारा अनिवार्य प्रावधान,

रिट याचिका की अनुमति निम्नलिखित आदेश पारित करके दी जाती है:

i) 28 फरवरी, 2019 की चयनित सूची को अलग कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है; (ii) उम्मीदवार 50 प्रतिशत अंक (कच्चे अंक) प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

प्रत्येक विषय में भर्ती/चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। iii) चयन बोर्ड निम्नलिखित क्रम में चयन सूची तैयार करेगा -

विधि; (iv) चयन बोर्ड छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करेगा।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तिथि और चयनित

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

15. वे अंक जिन्हें विशेष के साथ नोट या तौला गया था

उच्च न्यायालय की पीठ का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

दुर्भावना या ईमानदारी की कमी का कोई आरोप नहीं था

ए।

चयन बोर्ड या उसके सदस्यों के खिलाफ या उस तरीके के संबंध में जिसमें चयन के बाद के चरण आयोजित किए गए थे या सामान्यीकरण अंक की गणना या चयन बोर्ड द्वारा अपनाई गई सामान्यीकरण विधि और सूत्र के संबंध में।

नियम 15 (बी) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "निशान"

बी।

भर्ती नियमों को "कच्चे अंक" के रूप में माना जाना चाहिए।

नियम 15 (बी) पात्रता शर्त और एक उम्मीदवार से संबंधित है।

सी।

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत "कच्चे अंक" प्राप्त करने में विफलता

भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

डी।

केवल वे उम्मीदवार जो लिखित रूप में सफल रहे

नियम 15 के खंड (बी) के तहत परीक्षा का अर्थ है कि जिसने 50 प्रतिशत से अधिक "कच्चे अंक" प्राप्त किए थे, वह दस्तावेजों की जांच के अगले चरणों में उपस्थित होने के पात्र थे और

शारीरिक दक्षता परीक्षण।

प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में प्राप्त "चिह्न" अभिव्यक्ति

ई.

खंड (बी) के तहत परीक्षा नियम 15 के उप-नियम (ई) में दिखाई देने के रूप में "सामान्यीकृत अंक" के रूप में समझा और समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सामान्यीकरण की प्रक्रिया केवल सभी चरणों [2022] 1 एस. सी. आर. के बाद चयन सूची तैयार करने के लिए लागू की जा सकती है।

((घ) समाप्त हो गया। चयन बोर्ड इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सक्षम नहीं था

एफ.

नियम 15 (बी) के स्तर पर सामान्यीकरण और चयन बोर्ड की ओर से ऐसा आचरण फिर से लिखने या करने के बराबर है।

अनिवार्य नियम में संशोधन करना।

इन निष्कर्षों के आलोक में, विशेष खंड पीठ द्वारा पारित निर्देशों में संबंधित अधिकारियों को इस बात को खारिज करने की आवश्यकता थी कि उन लोगों की उम्मीदवारी जो प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत "कच्चे अंक" प्राप्त करने में विफल रहे थे और फिर योग्यता के क्रम में चयन सूची तैयार करने के लिए

" सामान्यीकृत अंक "।

16. विशेष प्रभाग के वनाच्छादित निर्णय पर भरोसा करना

इलाहाबाद में पीठ, लखनऊ में विशेष खंड पीठ ने 2019 के एस. एस. No.6540 और संबंधित मामलों (मनीष कुमार यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को अपने दिनांक 18.10.2019 के आदेश द्वारा निपटाया। लखनऊ में विशेष खंड पीठ के उक्त आदेश को 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.39931 (अजय सिंह बनाम। मनीष कुमार यादव और 49 अन्य)। विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 18.11.2019 के आदेश द्वारा संक्षेप में खारिज कर दिया गया था जो इस प्रकार हैः

" विशेष अवकाश याचिका दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन है

अनुमति दी गई।

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है "।

17. उत्तर प्रदेश राज्य और कुछ उम्मीदवार

इलाहाबाद में विशेष खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 11.09.2019 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस निर्णय को चुनौती दी है -

विशेष अनुमति याचिका दायर करना जिससे तत्काल अपीलें उत्पन्न होती हैं। अपने दिनांक 28.02.2020 के आदेश में, इस न्यायालय ने राज्य और बोर्ड को निम्नानुसार निर्देश दियाः

" हम राज्य और बोर्ड को निर्देश देते हैं कि वे उचित शपथ पत्र दाखिल करें जो दर्शाते हैंः

(क) सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होने से पहले कितने उम्मीदवारों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और जो उत्तर प्रदेश राज्य भी थे।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

बाद के दो चरणों अर्थात् जांच में पात्र पाया गया

दस्तावेजों और शारीरिक मानक परीक्षण।

सामान्यीकरण, उपलब्ध होना चाहिए। (ग) इन दो सूचियों में से, जो सामान्य नाम हैं, चाहे सामान्यीकरण लागू किया गया हो या नहीं, वे अभी भी जारी रहेंगे।

योग्य बनें।

(घ) शपथ-पत्र वर्तमान रिक्ति स्थिति श्रेणी-वार और वास्तव में कितनी सीटों के लिए विज्ञापित किया गया था, इसका भी संकेत देगा।

वर्तमान चयन प्रक्रिया में उपलब्ध हो।

अभ्यास को अगले चार दिनों के भीतर किया जाए और उचित हो।

शपथ पत्र 5.3.2020 पर या उससे पहले दाखिल किए जाने चाहिए।

आगे विचार किए जाने तक, वर्तमान मामले के संबंध में दायर किसी भी अवमानना की कार्यवाही पर रोक होगी। "

18. तदनुसार, राज्य की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया गया था और तथ्यात्मक जानकारी को निम्नानुसार दर्ज किया गया थाः

" 3. वह सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की भर्ती के लिए और

प्रत्यक्ष भर्ती 2016 के समतुल्य पद, उपनिरीक्षक सिविल पुलिस के 2400 पद, पीएसी प्लाटून कमांडर के 210 पद, पुरुष उम्मीदवारों के संबंध में अग्निशमन सेवा द्वितीय अधिकारी के 97 पद और महिला के संबंध में उपनिरीक्षक सिविल पुलिस के 600 पदों के लिए क्रमशः पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के खिलाफ कुल 630926 ऑनलाइन आवेदन (पुरुष 542124 और महिला 88802) प्राप्त हुए हैं। जिनमें से कुल 364539 उम्मीदवारों (पुरुष 317828 और महिला 46711) ने लिखित परीक्षा में भाग लिया है। 4. सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होने से पहले 9158 पुरुष उम्मीदवारों ने प्रत्येक अनुभाग/विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। इन 9158 उम्मीदवारों में से 7930 उम्मीदवार डी. वी./पी. एस. टी. (दस्तावेज़ सत्यापन और भौतिक [2022] 1 एस. सी. आर. में उपस्थित/उपस्थित हुए थे।

मानक परीक्षण-ऊंचाई/छाती) और 1181 अनुपस्थित रहते हैं। इन 7930 उम्मीदवारों में से 7,603 ने डी. वी./पी. एस. टी. में योग्यता प्राप्त की थी। 5723 7, 603 में से उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में योग्य थे।

उपरोक्त के अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि 47 पुरुष उम्मीदवार माननीय के निर्देशों के अनुसार सामान्यीकरण से पहले योग्य थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें दो गलत प्रश्नों के लिए अतिरिक्त अंक दिए लेकिन उन्हें डी. वी./पी. एस. टी. के लिए नहीं बुलाया जा सका क्योंकि

वे सामान्यीकृत अंकों में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उस समय तक चयन परिणाम केवल सामान्यीकृत अंकों के आधार पर तैयार किया जा रहा था।

पुरुष उम्मीदवारों की स्थिति-एस. आई.-2016 सामान्यीकरण लागू होने से पहले

अर्हता प्राप्त में उपस्थित योग्य अनुपस्थित योग्यता प्राप्त में विफल

अंक मानदंड

के लिए

में

डी. वी./पी. एस. टी. डी. वी./पी. एस. टी. डी. वी./पी. एस. टी. में

पीईटी में

डीवी/पीएसटी डीवी/पीएसटी

पीईटी

7930 + 47 * | 327

9158

7603 + 47 *

1721

रॉ पर आधारित

1181

5723

अंक (पहले)

सामान्यीकरण)

5. कि 501 महिला उम्मीदवारों ने सामान्यीकरण प्रक्रिया से पहले प्रत्येक अनुभाग/विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे

आवेदन किया। इन 501 महिला उम्मीदवारों में से 448 उम्मीदवार डी. वी./पी. एस. टी. में उपस्थित/उपस्थित हुए थे। शारीरिक मानक परीक्षण-ऊंचाई/वजन) और 53 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 448 उम्मीदवारों में से 441 ने डी. वी./पी. एस. टी. में योग्यता प्राप्त की थी और 441 उम्मीदवारों में से 348 ने योग्यता प्राप्त की थी।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (दौड़ना) में।

सामान्यीकरण लागू होने से पहले महिला उम्मीदवारों की स्थिति-एस. आई.-2016

अंक मानदंड योग्य अनुपस्थित उपस्थित असफल योग्य असफल अर्हता प्राप्त

में

पीईटी में

पीईटी में

के लिए

में

में

DV/PST DV/PST। DV/PST DV/PST

डीवी/पीएसटी

रॉ। 501 पर आधारित

84 348

अंक (पहले)

सामान्यीकरण)

6. कि 5229 पुरुष उम्मीदवारों ने सामान्यीकरण प्रक्रिया के बाद प्रत्येक अनुभाग/विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे

आवेदन किया। इन 5229 उम्मीदवारों में से 4452 उम्मीदवार डीवी/पीएसटी (दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण-ऊंचाई/छाती) में उपस्थित/उपस्थित हुए थे और 777 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 4452 उम्मीदवारों में से 4261 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में योग्य थे।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

इन 4261 उम्मीदवारों में से डी. वी./पी. एस. टी. और 3148 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में उत्तीर्ण हुए थे।

पुरुष उम्मीदवारों की स्थिति-एस. आई.-2016 सामान्यीकरण लागू होने के बाद

योग्य अनुपस्थित उपस्थित योग्यता में विफल योग्यता में विफल

अंक मानदंड

के लिए

में

डीवी/पीएसटी में

में

पीईटी

पीईटी में

डीवी/पीएसटी

डी वी/पी एस टी डी वी/पी एस टी डी वी/पी एस टी

के आधार पर

5229

777

191

4261

1008

3148

4452

सामान्यीकृत अंक

7. कि 484 महिला उम्मीदवारों ने सामान्यीकरण प्रक्रिया के बाद प्रत्येक अनुभाग/विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे

आवेदन किया। इन 484 उम्मीदवारों में से 400 उम्मीदवार डी. वी./पी. एस. टी. में उपस्थित/उपस्थित थे और 84 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। से बाहर

400 395 उम्मीदवार डी. वी./पी. एस. टी. में योग्य थे। 309 उम्मीदवार 395 उम्मीदवारों में से शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में योग्य थे।

सामान्यीकरण लागू होने के बाद महिला उम्मीदवारों की स्थिति-एस. आई.-2016

अर्हता प्राप्त करने में विफल योग्यता प्राप्त

वर्तमान में योग्य अनुपस्थित

अंक मानदंड

डीवी/पीएसटी में

पीईटी में

पीईटी में

के लिए

डीवी/पीएसटी में

डीवी/पीएसटी

डीवी/पीएसटी

डीवी/पीएसटी

के आधार पर

395

सामान्यीकृत अंक

8. पुरुष श्रेणी में 3899 नाम आम हैं। जिनमें से अंततः 2498 उम्मीदवार पी. ई. टी. (रनिंग) में उत्तीर्ण हुए।

9. महिला श्रेणी में 352 नाम आम हैं। जिनमें से अंततः 246 उम्मीदवार पी. ई. टी. (दौड़) में उत्तीर्ण हुए।

सामान्यीकरण से पहले और बाद में उम्मीदवारों की स्थिति लागू की जाती है

योग्य अनुपस्थित उपस्थिति योग्य असफल योग्यता में विफल

स्कोर

मानदंड

के लिए

में

में

डीवी/पीएसटी में

पीईटी में

पीईटी में

डी वी/पी एस टी डी वी/पी एस टी डी वी/पी एस टी

डीवी/पीएसटी

पुरुष 3899

457

महिला। 352

41

308

10. कि खाली रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार हैः इस अनुभाग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 821 पद खाली हैं। (क) पुरुषों में श्रेणीवार अधूरे पद-

प्लाटून

श्रेणी

एस. आई.,

एफए

सएसओ

कमांडर

सिविल पुलिस

खुली श्रेणी

एनआईएल

एनआईएल

एनआ

ईएल

(अनारक्षित)

एनआ

ईएल

एनआईएल

एनआईएल

ओ. बी. सी.

एससी

410

19

44

एसटी

47

04

02

कुल

457

48

21

(ख) महिलाओं में श्रेणीवार अधूरे पद-295

एस. आई., सिविल पुलिस

श्रेणी

खुली श्रेणी (अनारक्षित)

एनआईएल

ओ. बी. सी.

157

एससी

126

एसटी

12

कुल

295

11. कि उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ की जांच

और शारीरिक दक्षता परीक्षण अत्यधिक द्वारा आयोजित किया गया है एन. एस. ई. आई. टी. लिमिटेड भारत सरकार का प्रमाणित उपक्रम

वर्तमान शपथपत्र के संबंध में वचन और जानकारी

उक्त निष्पादन एजेंसी एन. एस. ई. आई. टी. लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई है।

जो पूरी तरह से पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण है।

19. जैसा कि कुछ उत्तरदाताओं को सेवा नहीं दी गई थी, बाद में

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.07.2020 के आदेश ने राज्य सरकार को दो समाचार पत्रों में उचित विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया

राज्य में व्यापक प्रसार होने पर, अर्थात एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में, यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उक्त निर्णय का समर्थन करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। यह भी देखा गया कि किसी भी मामले में,

जिन उत्तरदाताओं को मामलों में सेवा दी गई थी और जिनका प्रतिनिधित्व कई विद्वान वकीलों द्वारा किया जा रहा था, उन्हें माना जाएगा

सभी संबंधित उत्तरदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना।

तदनुसार, विज्ञापन राज्य द्वारा प्रकाशित किए गए थे और

इस न्यायालय की रजिस्ट्री में अनुपालन शपथ पत्र दायर किया गया था। इसके बाद मामलों को अंतिम निपटारे के लिए रखने का निर्देश दिया गया।

20. इन अपीलों में श्री विनोद दिवाकर ने अतिरिक्त जानकारी ली

राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने अग्रिम प्रस्तुतियाँ दीं। श्री.

पी. एस. पटवालिया, डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्री विकास सिंह, श्री विनय नवारे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री अमित पवन और श्री शोएब आलम, विद्वान अधिवक्ता, उस क्रम में, राज्य का समर्थन करने वाले संबंधित उम्मीदवारों की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ। पक्ष की ओर से तर्क श्री राकेश द्विवेदी, श्री कपिल सिब्बल, श्री वी. गिरि, सुश्री वी. मोहना, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, श्री पल्लव शीशोदिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सुश्री बांसुरी स्वराज और श्री आनंद वर्मा, विद्वान अधिवक्ताओं ने उसी क्रम में उत्तरदाताओं को पेश किया। दोनों पक्षों ने सामान्यीकरण के प्रभावों को उजागर करने वाले कुछ उदाहरणों पर भरोसा किया।

21. अपीलों के समर्थन में प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं:

(क) अभिव्यक्ति "चिह्न" को अलग अर्थ नहीं दिया जा सका

या प्रक्रिया के दो अलग-अलग चरणों में अर्थ

भर्ती नियमों के नियम 15 द्वारा विचार किया गया। नियम 15 (बी) और 15 (ई), एक ही नियम का हिस्सा होने और एक ही प्रक्रिया का हिस्सा होने के कारण, अभिव्यक्ति के लिए एक ही अर्थ रखना चाहिए।

" दोनों स्थानों पर निशान।

29 में लिखित परीक्षा होने की प्रकृति से

(ख)

सत्रों में, कुछ पेपर कठिन थे जबकि कुछ बहुत सरल या आसान थे और इसलिए सभी उम्मीदवारों को एक समान स्थिति में रखने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, सामान्यीकरण की प्रक्रिया को सीमा पर, यानी नियम 15 (बी) द्वारा विचार किए गए स्तर पर, सही ढंग से अपनाया गया था।

भर्ती नियम।

((ग)

उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले भी

प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, राज्य ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था

कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस प्रकार, राज्य की ओर से कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष थी और

पारदर्शी।

((घ)

किसी भी मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया, वहाँ नहीं था यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण या प्रामाणिक नहीं होने का आरोप भी

राज्य की ओर से कार्रवाई में।

(ई)

यदि सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभिक रूप से नहीं अपनाया गया था

इस चरण में, कुछ सही दावेदार और उम्मीदवार

सामान्यीकरण वे आसानी से योग्य थे। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सिद्धांत

(च)

यह माना जाएगा कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि प्रश्न पत्रों में कठिनाई की डिग्री अन्यथा सामान्यीकरण को अपनाने की मांग करती है, तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को भर्ती नियमों के नियम 15 (ई) के चरण तक स्थगित करने के परिणामस्वरूप केवल उन लोगों के साथ अनुचित व्यवहार होगा जिन्हें सरासर संयोग से जवाब देना पड़ा था।

कठिन प्रश्न पत्र।

संजय सिंह और अन्न मामले में इस अदालत का फैसला। वी. यू. पी

(जी)

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद और Anr.5 ने पाया था कि संयम की अनुमति होगी और यह केवल मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति में ही था कि या तो

सामान्यीकरण की अनुमति नहीं पाई गई।

जहाँ भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होते हैं

(ज)

परीक्षा और जहाँ भी कई प्रश्न हों

पेपरों का उपयोग किया जाता है, एक प्रक्रिया जैसे कि बराबरी, सामान्यीकरण या मानकीकरण या स्केलिंग हमेशा लागू की जाएगी ताकि सभी उम्मीदवारों को सभी के बराबर मापदंडों पर आंका या परखा जा सके।

यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण नहीं था

((i)

कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया को कभी अपनाया नहीं जा सका। उन्होंने केवल इतना तर्क दिया कि सामान्यीकरण के चरण को नियम 15 (ई) की स्थिति तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। सेवा न्यायशास्त्र में सामान्य दृष्टिकोण, जहाँ

(1)

न्यायिक समीक्षा की सीमा सीमित है, संबंधित अधिकारियों को तब तक अधिकतम छूट देना है जब तक कि उनके कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी, आवेदन में समान और बिना किसी दुर्भावना के हों।

विश्वास करते हैं।

22. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय में सफल होने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई दलीलें थीं:

एक उम्मीदवार को हमेशा अच्छी तरह से जागरूक किया जाना चाहिए

(अ)

चयन के आगे के चरणों के लिए पात्र होने के लिए उसे न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना होगा। इसलिए, 50 प्रतिशत की कट ऑफ को लिखित परीक्षा की तुलना में माना जाना था जिसे एक उम्मीदवार को करना आवश्यक था। मापदंडों को किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने के बजाय स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए।

3 एससीसी 720।

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

कठिनाई के स्तर के आधार पर संशोधन जो अन्य उम्मीदवारों को सामना करने की आवश्यकता थी।

(ख)

प्रारंभिक चरण में, अर्थात, नियम 15 (बी) स्तर पर क्या

अधिकतम अंकों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत की आवश्यकता थी

ऐसी लिखित परीक्षा के लिए आबंटित। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार को अपने खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी थी और उसके प्रदर्शन की तुलना में उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना था।

अन्य पात्र होने के लिए।

((ग)

नियम 15 (बी) में पचास "प्रतिशत" अंकों की आवश्यकता थी।

और ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार को पचास "प्रतिशत" में होना चाहिए।

((घ)

नियम 15 (बी) स्तर पर, एक विशिष्ट और ज्ञात लक्ष्य होगा

उम्मीदवार को अगले स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उसे पूरा करना आवश्यक है और इस स्तर पर आवश्यक अंक "कच्चे अंक" होने चाहिए न कि कोई "सामान्यीकृत"।

स्कोर "। "सामान्यीकृत अंक" तुलना करने के लिए एक उपाय होगा।

(ई)

उम्मीदवारों का प्रदर्शन या स्तर और

इसलिए, केवल उम्मीदवारों के बीच योग्यता की स्थिति तय करने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए और उन लोगों को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक "कच्चे अंक" प्राप्त किए थे।

(च)

चूंकि नियम 15 (बी) में एक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

प्रत्येक विषय में, आवश्यकता सही थी

उच्च न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत "कच्चे अंक" माने गए।

(छ) 50 प्रतिशत "कच्चे अंक" प्राप्त करना नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्त है, बोर्ड एक उप के रूप में

प्रतिनिधि, को संशोधित करने में सक्षम और उचित नहीं था

आवश्यकताएँ।

सामान्यीकरण की प्रक्रिया में, कौन से कारक होंगे

(ज)

माना जाता है कि चयन प्रक्रिया की शुरुआत में उम्मीदवारों को कभी पता नहीं था। उन्हें केवल इतना बताया गया कि उन्हें लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं।

जाँच। जो उन्होंने वास्तव में प्राप्त किया था, वह नहीं हो सका

किसी भी कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया गया है जैसे कि

सामान्यीकरण जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है।

((i)

एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक था

400 चार विषयों वाले अंक, जिनमें से सभी को [2022] 1 एस. सी. आर. होना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक ही प्रश्न के भाग के रूप में एक सत्र में उत्तर दिया जाए

कागज। यह बहुत संभव था कि उक्त चार विषयों में से एक के बारे में प्रश्न कठिन थे जबकि दूसरा

विषय/विषय बहुत सरल थे। यह कुल राशि थी
पूरे पेपर का जिसका सामना एक उम्मीदवार को एक सत्र में करना और जवाब देना आवश्यक था। एक उम्मीदवार कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक समय दे सकता था। इस प्रकार, परीक्षा की प्रकृति से, प्रारंभिक चरण में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाना मुश्किल था और इस तरह कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता था।

(1)

तत्काल मामलों को उच्च न्यायालय ने सही पाया

संजय सिंह के 3 मामले में इस अदालत के फैसले के दायरे में आने के लिए।

(के)

किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि हुई

विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.39931 को खारिज करके

2019 से।

23. शुरुआत में, हमें बर्खास्तगी के प्रभाव पर विचार करना चाहिए

2019 की अल लीव पिटिशन (सी) डायरी No.39931। यह एक सारांश था

एस. एस. ए. एल. प्रवेश स्तर पर और आदेश किसी का खुलासा नहीं करता है

चुनौती को क्यों अस्वीकार कर दिया गया। चुनौती भी नहीं थी

राज्य की स्थिति।

पी. सिंगरावेलन और अन्य बनाम जिला कलेक्टर, तिरुपुर

ओटी और अन्य, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थीः

संविधान, या विलय के सिद्धांत को आकर्षित करता है। निम्नलिखित कुन्हयमद बनाम में इस प्रस्ताव पर चर्चा। केरल राज्य इस संबंध में प्रासंगिक हैः (एससीसी पीपी। 383-84 , पैरा 44)

" (i) जहां किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष पारित आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन का प्रावधान किया गया है।

0) 3 एससीसी 133

0) 6 एस. सी. सी. 359 "उत्तर प्रदेश का ए. टी. ई. वी. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

मंच और ऐसा उच्चतर मंच अपने समक्ष रखे गए निर्णय को संशोधित, उलट या पुष्टि करता है, अधीनस्थ मंच द्वारा निर्णय उच्चतर मंच द्वारा निर्णय में विलय हो जाता है और यह है -

उत्तरार्द्ध जो रहता है, सक्रिय रहता है और सक्षम है

((ii) संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण निपटान तक है। अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना। दूसरा चरण तब शुरू होता है जब अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में परिवर्तित कर दिया जाता है।

((iii) विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। यह वरिष्ठ मंच द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति पर निर्भर करेगा और रखी गई या रखी जाने में सक्षम चुनौती की सामग्री या विषय वस्तु विलय की प्रयोज्यता का निर्धारक होगी। श्रेष्ठतम।

क्षेत्राधिकार अपने समक्ष जारी आदेश को उलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उलट सकता है, संशोधित कर सकता है या

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्णय-डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की पुष्टि करें, न कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका का निपटारा करते हुए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। इसलिए विलय का सिद्धांत पहले वाले पर लागू किया जा सकता है न कि बाद वाले पर।

((iv) अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने का आदेश एक हो सकता है -

गैर-बोलने वाला क्रम या बोलने वाला। किसी भी मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। इनकार करने का आदेश

अपील के लिए विशेष अनुमति चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था ताकि अपील दायर करने की अनुमति दी जा सके। (v) यदि अपील करने की अनुमति से इनकार करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है यानी छुट्टी देने से इनकार करने के कारण देता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, में निहित कानून का बयान

आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है। दूसरा, कानून की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो पक्षकारों को और [2022] 1 एस. सी. आर. में न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को भी बाध्य करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की कोई कार्यवाही,

सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन, यह कहने के लिए नहीं है कि अदालत का आदेश, न्यायाधिकरण

या नीचे दिए गए प्राधिकरण का सर्वोच्च के क्रम में विलय हो गया है

विशेष अनुमति याचिका या उस आदेश को अस्वीकार करने वाला न्यायालय

उच्चतम न्यायालय एकमात्र आदेश है जो न्यायपालिका के रूप में बाध्यकारी है।

पक्षकारों के बीच बाद की कार्यवाही।

(vi) एक बार अपील करने और अपील करने की अनुमति दे दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आदेश लागू किया गया है

अपील में पारित होने से विलय का सिद्धांत आकर्षित होगा; आदेश यह परिवर्तन, संशोधन या केवल पुष्टि का हो सकता है।

(vii) किसी अपील को प्राथमिकता दिए जाने या याचिका दायर करने पर

अपील करने की अनुमति को पहले अपील में परिवर्तित कर दिया गया है

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मनोरंजन करने के लिए

इसके बाद एक समीक्षा याचिका खो जाती है जैसा कि उप-नियम (1) द्वारा प्रदान किया गया है।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. "।

(जोर दिया गया)

इस दृष्टिकोण को कई निर्णयों में भी अपनाया गया है -

यह न्यायालय, खोडे डिस्टिलरीज में हाल के फैसले सहित

लिमिटेड वी. श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने

Ltd.8

एक स्थिति, यह हमारे लिए तत्काल अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला है एसएलपी को खारिज करने वाले इस न्यायालय के पूर्व आदेशों से अप्रभावित

समान रूप से रखे गए चालकों को राहत देने के खिलाफ यहाँ अपीलकर्ता "।

सी. जी. गोविंदन बनाम में टिप्पणियों का भी इसी तरह का प्रभाव है। राज्य

उजरात और अन्य, यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम

घ इसके अध्यक्ष वी। ओमादित्य वर्मा और अन्य और राज्य

ए और दूसरा वी। धीरेंद्र सुंदर दास और अन्य "। हम,

इससे पहले, प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार कर दें।

) 4 एससीसी 376

ख) 7 एस. सी. सी. 625

5) 4 एस. सी. सी. 424

24. अब हम इन मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 25. उत्तर प्रदेश राज्य में, चयन से संबंधित मामले,

प्रशिक्षण, नियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण और

उत्तर प्रदेश में उप-निरीक्षकों और निरीक्षकों की सेवा का निर्धारण

उत्तर प्रदेश के उप-निरीक्षकों ने पुलिस से निपटा और

सी. टी. ओ. आर. (सिविल पुलिस) सेवा नियम, 2008 (संक्षेप में "2008 नियम") धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे।

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 2 के साथ।

2008 के नियमों का भाग 5 "भर्ती प्रक्रिया" से संबंधित है।

उक्त भाग 5 के नियम 15 का निम्नलिखित प्रभाव थाः

" 15. उप के पद पर सीधी भर्ती के उद्देश्य से

निरीक्षक, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होगा /

अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग

चयन समिति अधिनियम की धारा-7 के तहत किए गए आदेश के अनुसार बनाई जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ए) आवेदन

(i) एक उम्मीदवार एक से आवेदन पत्र भरेगा।

उम्मीदवार एक से अधिक विकल्प दे सकता है। हालांकि बोर्ड उम्मीदवार द्वारा बताए गए केंद्रों के अलावा अन्य केंद्र आवंटित कर सकता है। ((ii) आवेदन पत्र के साथ एक अलग पुस्तिका संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी होगी।

आयु, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य, न्यूनतम योग्यता की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता मानक

लिखित परीक्षा के लिए विषयवार योग्यता अंक, की प्रति

अभ्यास और अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के लिए ओ. एम. आर. पत्रक;

(iii) आवेदन पत्र ओ. एम. आर. शीट पर कार्बन के साथ है।

प्रतिलिपि बनाना;

(iv) उम्मीदवार के बाएं और दाएं दोनों अंगूठे के लिए जगह

आवेदन पत्र में छाप दी गई है; दो सत्यापित हैं

आवेदन पत्र एक पर उम्मीदवार की तस्वीरें चिपकाई जाएं।

आवेदन पत्र पर फोटो और प्रवेश पत्र पर एक फोटो

कार्ड को उचित स्थानों पर चिपकाया जाना चाहिए।

(v) यह आवश्यक है कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10 वीं, [2022] 1 एस. सी. आर. के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां होनी चाहिए।

12 और स्नातक/स्नातकोत्तर, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति

(vi) आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघर/बैंक से निर्धारित शुल्क के भुगतान पर खरीदा जा सकता है।
(vii) ठीक से भरे गए आवेदन पत्र उसी डाकघर/बैंक में जमा किए जाने चाहिए जहाँ से इसे खरीदा गया है।

(ख) कॉल लेटरः

कॉल लेटर जारी करने से पहले उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन पत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसके साथ संलग्न नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र को स्कैन करने के बाद, योग्य उम्मीदवारों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कॉल लेटर जारी किया जाएगा जहां से आवेदन पत्र जारी किया गया था।

प्रस्तुत किया। शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा की तारीख और समय के साथ परीक्षा केंद्र का कोड/नाम/डाक पता/स्थान स्पष्ट रूप से होगा

कॉल लेटर में उल्लेख किया गया। जिन दस्तावेजों के साथ उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पहुंचना आवश्यक है, उन्हें कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। कॉल लेटर परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले पहुंचना चाहिए। यदि परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले तक कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तो उम्मीदवार हेल्प लाइन पर संपर्क कर सकते हैं, इस संबंध में आवेदन पत्र का क्रम कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा डुप्लिकेट कॉल लेटर जारी किया जाएगा।

(ग) शारीरिक मानक परीक्षणः

सभी योग्य उम्मीदवार योग्यता प्रकृति के शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्यता मानक में उपस्थित होने के लिए

जिसके लिए परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

जिन उम्मीदवारों को खंड (सी) के तहत शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किया जाता है, उन्हें एक परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा। योग्यता प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार/प्रारंभिक लिखित परीक्षा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी।

इसमें तीन खंड होंगे, अर्थात् सामान्य ज्ञान।

(समसामयिक मामले, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि) 100 अंकों के। 50 अंकों की संख्यात्मक क्षमता परीक्षा और 50 अंकों का तर्क। उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सफल घोषित किया जाएगा।

(ई) शारीरिक दक्षता परीक्षण

जिन उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है

खंड (घ) के तहत प्रारंभिक लिखित परीक्षा योग्यता प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने के लिए आवश्यक होगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार-I के स्तर की होगी। बोर्ड को उक्त परीक्षा के मानकों को बदलने या उन्नत करने का अधिकार होगा जो किसी भी मामले में स्टार-I के निर्धारित मानकों से कम नहीं होगा। शारीरिक संचालन की प्रक्रिया

दक्षता परीक्षण वैसा ही होगा जैसा परिशिष्ट-2 में निर्धारित किया गया है।

(च) मुख्य लिखित परीक्षा

शारीरिक रूप से सफल घोषित किए गए उम्मीदवार

निम्नलिखित विषयः विषय

अधिकतम अंक

सामान्य हिंदी /

75 निशानियाँ

हिंदी निबंध

25 निशानियाँ

100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

बुनियादी कानून और संविधान संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

परीक्षण/तर्क ध्यान दें: लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-3 के रूप में निर्धारित होगी।

उम्मीदवार जो न्यूनतम पचास प्रतिशत प्राप्त करने में विफल रहता है

नियम 6 के तहत जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य, एक सूची तैयार करें उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की संख्या [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य लिखित परीक्षा में, उत्तर कुंजी के साथ प्रति विषय प्राप्त अंकों के साथ पूरी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर तुरंत प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी।

(छ) चिकित्सीय परीक्षण

जिन उम्मीदवारों ने मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है

परीक्षा चिकित्सा परीक्षा परीक्षा से गुजरेगी जो परिशिष्ट-3 में निर्धारित है।

(ज) सामूहिक परिचर्चाः

नियम 15 (च) के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक समूह चर्चा में उपस्थित होना होगा जिसके लिए दस के अलग-अलग समूह होंगे।

प्रत्येक उम्मीदवार का गठन किया जाएगा। समूह चर्चा की प्रक्रिया प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और अपराध विज्ञानी वाले पैनल की देखरेख में की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष या उनके मनोनीत, के महानिदेशक द्वारा नामित एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति

चर्चा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। समूह चर्चा में 20 अंक होंगे और इसमें शामिल होंगे - उम्मीदवारों के प्रबंधन कौशल (5 अंक), प्रस्तुति (5 अंक), दृष्टिकोण (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

समूह चर्चा की पूरी प्रक्रिया वीडियो होगी।

नोट 1

ग्राफ़ किया जाएगा और उसकी एक सीडी तैयार की जाएगी।

प्रस्तुतिकरण देने के लिए अधिकारियों का नामांकन

नोट 2

चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग समिति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार बनाई जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया

नोट 3

ऐसा होगा जैसा कि परिशिष्ट-3 में निर्धारित किया गया है।

(i) चयन और योग्यता सूची

नियम 15 (च) के तहत मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तर प्रदेश राज्य में जोड़ा जाएगा।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

समूह चर्चा में उनके द्वारा प्राप्त अंक

नियम 15 (एच)। बोर्ड क्रम में उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार करेगा।

(ij)

मुख्य लिखित परीक्षा और समूह चर्चा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के योग द्वारा प्रकट किए गए आरक्षण नीति दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनकी योग्यता की गणना की जाती है। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सूची में अधिक स्थान दिया जाएगा। बोर्ड सभी उम्मीदवारों के लिए चयन सूची तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करेगा और इसे आयोग के प्रमुख को भेजेगा।

विभाग।

25.1 परिशिष्ट 3 से 2008 तक के नियम लिखित लिनेशन की प्रक्रिया से संबंधित थे जो निम्नानुसार थाः

" लिखित परीक्षा की प्रक्रिया

सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता से गुजरना होगा।

मुख्य लिखित परीक्षा से पहले परीक्षा (उप-निरीक्षक की सीधी भर्ती के मामले में)। यूनियन पब्लिक की तर्ज पर

सेवा आयोग, चिपकाए गए संगणकीकृत कॉल पत्र

मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तस्वीरें भेजी जाएंगी।

डाकघरों/बैंकों के माध्यम से परीक्षा जिस तरह से की गई थी

प्रारंभिक जांच के लिए भेजा गया।

(ए) फोटोग्राफ, दोनों हाथों और कोड के अंगूठे के निशान परीक्षा केंद्र की संख्या/नाम, डाक पता, तिथि/समय

जिले के नाम के साथ परीक्षा होगी

कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

(ख) कॉल लेटर परीक्षा की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले उम्मीदवारों तक पहुंचना चाहिए। यदि परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पहले कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तो उम्मीदवार बोर्ड की हेल्प लाइन/लैंडलाइन/मोबाइल फोन पर संपर्क कर सकते हैं या आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड की वेबसाइट से संपर्क करके डुप्लिकेट कॉल लेटर।

(ग) लिखित परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी।

पूरे राज्य में एक ही समय।

(घ) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में कार्बन कॉपी के साथ ओ. एम. आर. शीट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा के बाद कार्बन की प्रति अपने साथ ले जा सकता है। जब सभी उम्मीदवारों का परिणाम [2022] 1 एस. सी. आर. होगा।

घोषित परिणाम उत्तर कुंजी के साथ अपलोड किया जाएगा विषयवार उनके द्वारा प्राप्त अंकों के साथ बोर्ड की वेबसाइट। उम्मीदवार ओ. एम. आर. (कार्बन कॉपी) उत्तर पुस्तिका के अनुसार वेबसाइट से अपने अंक देख सकते हैं।

(ङ) लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से सीलबंद लिफाफों में केंद्रवार बोर्ड को भेजा जाएगा।

अगस्त 2015 और उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक द्वारा (सिविल पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 3 दिसंबर को

2015. उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित संशोधित नियमों ('भर्ती नियम', संक्षेप में) के नियम 15 को अपील के तहत दिए गए फैसले में उद्धृत किया गया है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "लिखित परीक्षा की प्रक्रिया" से संबंधित पहले के नियम 15 (ई) के लिए संदर्भित परिशिष्ट 3 को संशोधन के आधार पर हटा दिया गया था।

27. 2008 के नियमों का नियम 15, जैसा कि यह संशोधनों से पहले था, इस प्रकार विचार किया गयाः

द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की जांच/परीक्षा

((i)

उम्मीदवारों ने अपने आवेदन के साथ पहला कदम उठाया, जिसके बाद उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक था

((ख)

मानक परीक्षण और केवल वे जो सफल रहे, वे एक वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे।

(iii) जिन लोगों ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होंगे जो योग्यता प्रकृति की थी। उस स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वालों को मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
(iv) नियम 15 (च) के अनुसार, लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया परिशिष्ट 3 के संदर्भ में होनी थी। उक्त परिशिष्ट के संदर्भ में, लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी

पूरे राज्य में एक ही समय पर एक ही तारीख को। कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की सूची

इसके बाद निशान तैयार किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश का ई बनाम। अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

इसके बाद चिकित्सकीय जांच होगी।

नियम 15 (जी)। अंत में, 20 अंकों की समूह चर्चा होगी।

अंतिम चयन और योग्यता सूची इस आधार पर होगी -

मुख्य लिखित में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक परीक्षा और समूह चर्चा में प्राप्त अंक।

2008 के नियमों के नियम 15 में बताए गए कदम और चरण हैं -

इसमें एक महत्वपूर्ण बदलावः

नियम 15 (ए) के तहत आवेदन पत्रों की जांच के बाद, सभी उम्मीदवारों को 400 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को नियम 15 (सी) के संदर्भ में दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में उपस्थित होना होगा।

प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार

विषयों को भर्ती के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के चरण में उपस्थित होना आवश्यक है।

और नियम 15 (सी) के संदर्भ में शारीरिक मानक परीक्षण।

जो लोग पिछले चरणों में सफल हुए हैं, उन्हें नियम 15 (डी) के संदर्भ में शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। अंत में नियम 15 (ई) के चरण में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से, खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की प्रत्येक श्रेणी की एक चयन सूची तैयार की जाएगी।

यह तय करना बोर्ड पर छोड़ दिया गया है कि क्या लिखित परीक्षा एक ही पाली में एक तारीख को आयोजित की जाए या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक तारीखों पर अलग-अलग पाली में आयोजित की जाए।

अलग-अलग प्रश्न पत्र।

यह फिर से बोर्ड पर छोड़ दिया गया है कि वह लिखित परीक्षा की प्रक्रिया तय करे जिसे स्वयं ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वेबसाइट।

अपरिवर्तित प्रावधानों को शामिल करें, लिखित के लिए प्रक्रियाएन को परिशिष्ट 3 में निर्धारित किया गया था, जिसके बाद तत्कालीन [2022] 1 एस. सी. आर. के संदर्भ में मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी।

नियम 15 (च)। प्रक्रिया ने अनिवार्य किया कि मुख्य लिखित परीक्षा एक ही तारीख को और एक ही समय पर आयोजित की जाए।

राज्य।

वह प्रक्रिया अब विस्थापित हो गई है और संशोधित प्रावधान अब बोर्ड को दो स्तरों पर विवेकाधिकार प्रदान करते हैं। पहले के तहत

आंशिक रूप से, यह बोर्ड को तय करना है कि क्या लिखित परीक्षा एक ही तिथि, एक ही समय और एक ही स्थान पर आयोजित की जाए या यह एक ही तिथि पर एक से अधिक पाली में या एक से अधिक तिथियों पर अलग-अलग पाली में आयोजित की जाए। दूसरा, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया भी बोर्ड द्वारा निर्धारित की जानी है, लेकिन इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

संशोधित नियम 15 की आवश्यकताओं के अनुसार, अंक

लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार अब दस्तावेजों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरणों में योग्यता प्राप्त करने या योग्यता अंकों को पूरा करने के लिए निर्धारित कारक होंगे।

30. जमा करने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए

ऑनलाइन आवेदन पत्र, बोर्ड द्वारा 28.06.2017 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जो दर्शाती है:

कि लिखित परीक्षा से अधिक पर आयोजित की जाएगी

अ)

अलग-अलग बैठकों में अलग-अलग प्रश्नों के साथ एक तारीख

कागजात।

ख)

चूँकि प्रत्येक बैठक के प्रश्न पत्र अलग-अलग होंगे,

समानता की कोई संभावना नहीं होगी।

(ग)

अभ्यास के लिए अंकों के सामान्यीकरण की आवश्यकता होगी

मानकीकृत इक्वी-प्रतिशत विधि का उपयोग करना। ऐसी विधि एम. ए. एच.-एम. बी. ए./एम. एम. एस. सी. ई. टी. 2015 में अपनाया जाएगा।

31. उक्त अधिसूचना जारी करने और ऊपर बताए गए इरादे की घोषणा करने का अभ्यास, बोर्ड की शक्तियों के दायरे में था -

नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा संशोधित नियम 15 (बी)। यह लिखित परीक्षा से पहले ही उम्मीदवारों के ध्यान में लाया गया था।

परीक्षाएं आयोजित की जानी थीं। बड़ी संख्या को देखते हुए

लिखित परीक्षा 29 अलग-अलग बैठकों या बैचों में 29 अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ आयोजित की गई थी। यह अनिवार्य रूप से निहित था और बोर्ड को उम्मीदवारों की योग्यता का समान आधार या मापदंड पर परीक्षण करने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता थी।

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

हालाँकि, जो सवाल उठता है, वह उस चरण के बारे में है जिस पर

सामान्यीकरण को अपनाने या लागू करने की आवश्यकता थी। 32. इस प्रश्न में जाने से पहले, हमें इस न्यायालय के कुछ आयनों पर विचार करना चाहिए जो स्केलिंग या स्केलिंग के मुद्दों से निपटते थे।

अलाइजेशन।

33. यू. पी. लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र

और अन्य 1 2, लोक सेवा आयोग ने "स्केलिंग" लागू किया था

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान दिया गयाः

1997 और 1999 में न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के लिए परीक्षा। यू. पी. पी. एस. सी. के अनुसार, एक ही विषय के संबंध में विभिन्न परीक्षकों द्वारा अंक देने में व्यापक असमानता थी। जवाब-पत्र थे परीक्षकों को दिए जाने से पहले यादृच्छिक। यादृच्छिककरण तीन चरणों में किया गया था, अर्थात्, अनुक्रमांक के आवंटन के चरण में, केंद्रों का आवंटन और मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के समय। यू. पी. पी. एस. सी. ने सामान्य पत्रों के संबंध में विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधि को अपनाने के लिए कई तिमाहियों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। यह देखा गया कि विभिन्न परीक्षकों ने उम्मीदवारों को अंक देने के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाए। इस प्रकार, उम्मीदवारों को परीक्षकों की सनक पर छोड़ दिया गया। परीक्षकों के दो समूहों के बीच सकल असमानता के परिणामस्वरूप

कुछ उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया और इसलिए एक चेक की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि परीक्षकों के दो अलग-अलग समूहों द्वारा दिए गए अंकों को कुछ सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि के अनुसार मापने की आवश्यकता होती है। यू. पी. पी. एस. सी. ने अलग माना स्केलिंग प्रणाली के पहलुओं और स्केलिंग प्रणाली का गहन अध्ययन करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। सदस्यों ने

इस समिति में प्रतिष्ठित प्रोफेसर शामिल थे। विश्वविद्यालय। यू. पी. पी. एस. सी. ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यू. पी. पी. एस. सी. ने स्केलिंग के सूत्र को लागू करने का संकल्प लिया और उसके बाद इसे पी. सी. एस. प्रीलिमिनरी पर लागू किया गया।

परीक्षा, 1996 और 1996 में आयोजित पी. सी. एस. मुख्य परीक्षा में भी। स्केलिंग प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, यू. पी. पी. एस. सी. ने 13-10-1999 पर अपनी बैठक में अपने द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए स्केलिंग पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया। सिविल जज (जूनियर) के मामले में प्रभाग) परीक्षा, 2000, उत्तर पुस्तिकाओं को दोहरेपन या किसी भी संभावित शरारत से बचने के लिए यादृच्छिक किया गया था। प्रत्येक परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों पर विचार किया गया और उन्हें मापा गया।

यू. पी. पी. एस. सी. द्वारा अपनाए गए सूत्र के अनुसार। ने कहा कि

सूत्र इस विषय पर विशेषज्ञों की राय पर आधारित था और तदनुसार, परिणाम यू. पी. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाशित किया गया था। योग्यता सूची

यू. पी. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाशित 2002 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 23723 में उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यू. पी. पी. एस. सी. द्वारा अपनाई गई स्केलिंग प्रणाली भ्रमित करने वाली, मनमाना और बिना किसी भेदभाव के थी।

उचित आधार। यह आरोप लगाया गया था कि मनमाने निशान थे

स्केलिंग प्रणाली के नाम पर कुछ उम्मीदवारों को अनुचित पक्ष प्रदान करने के लिए सम्मानित किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि यू. पी. पी. एस. सी. ने में अपनाए गए दिशानिर्देशों और मानदंडों का खुलासा नहीं किया था।

स्केलिंग प्रणाली को लागू करना और इसलिए, यह मनमाना और अनुचित था। यह भी तर्क दिया गया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी आधार के 40 प्रतिशत से कम अंक दिए गए थे, जबकि कई अन्य उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत से अधिक अंक दिए गए थे।

33.1 संबंधित नियमों को पैराग्राफ 15 और 17 में उद्धृत किया गया था

वीएसः " 15. भाग VI नियम 19 नियुक्ति, परिवीक्षा और

पुष्टि करें। नियम 19 इस प्रकार हैः

" 19. आयोग द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची। आयोग उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा जिन्होंने सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा दी है।

अंततः कुल अंकों द्वारा प्रकट की गई प्रवीणता

प्रत्येक उम्मीदवार को पुरस्कार। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयोग उन्हें उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेगा।

बशर्ते कि आयोग अपनी सिफारिश करते समय इस बात से संतुष्ट होगा कि उम्मीदवार ने ऐसी सिफारिश प्राप्त कर ली है। लिखित परीक्षा में अंकों का योग कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए अपनी क्षमता से योग्य है। उत्तर प्रदेश राज्य V.

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

17. नियम 51, जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 51. इस प्रकार प्राप्त अंक-पत्रों को साक्षात्कार के अंतिम दिन खोला जाएगा और उसके तुरंत बाद - साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण को प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।

परिणामः बशर्ते कि आयोग, समाप्त करने की दृष्टि से

किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में भिन्नता, एक विधि, उपकरण या सूत्र अपनाएं जिसे वे उद्देश्य के लिए उचित सोचें।

33.2 इस मुद्दे पर चर्चा इस प्रकार थीः

" 19. इसलिए, जो सवाल विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियम 51 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके स्केलिंग प्रणाली को अपना सकता है।

1976 नियमावली, 1951 में निहित नियम 19 को ध्यान में रखते हुए संशोधन अधिनियम। बेशक, नियमावली, 1951 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाया गया था, जबकि

1976 (एस. आई. सी. 1974) अधिनियम के प्रावधान यू. पी. लोक सेवा आयोग के लिए सामान्य दिशानिर्देश हैं, यह उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाया गया अधिनियम नहीं है। फिर भी, 1976 (एस. आई. सी. 1974) अधिनियम के प्रावधान न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से लागू हैं। उत्तर प्रदेश राज्य। नियमावली, 1951 के नियम 19 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "कुल अंक" को केवल स्केलिंग प्रणाली लागू होने के बाद दिए गए अंतिम अंकों के रूप में माना जा सकता है। निश्चित रूप से,

नियम 51 का परंतुक आयोग को उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में किसी भी भिन्नता को समाप्त करने के लिए किसी भी विधि, उपकरण या सूत्र को अपनाने की पर्याप्त शक्ति देता है। 1974 के अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधान परीक्षाओं के संचालन की विधि और तरीके से संबंधित हैं। नियामावली,

1951 पदों पर भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले केवल सामान्य प्रावधानों से संबंधित है। नियमावली, 1951 परीक्षा आयोजित करने की विधि और तरीके से संबंधित नहीं है। विभिन्न कदम और प्रक्रियाएँ [2022] 1 एस. सी. आर.

भर्ती को पूरा करने में अपनाया जाना चाहिए जिसके लिए विस्तृत जानकारी दी गई है

प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया नियमावली, 1951 का हिस्सा नहीं है। 20. हमें नहीं लगता कि नियम 51 का प्रावधान किसी भी तरह से नियमावली, 1951 के नियम 19 के विपरीत है। समुच्चय

अंकों को केवल पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवार द्वारा अंत में प्राप्त कुल अंकों के रूप में माना जा सकता है।

उत्तरदाता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि स्केलिंग प्रणाली को अपनाने से किसी भी तरह से किसी भी मेधावी उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है। यदि किसी उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए होते, तो भी स्केलिंग फॉर्मूला लागू करने से उसे लाभ होता। 32. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि स्केलिंग की प्रक्रिया केवल परीक्षक की दिशा में की गई थी और स्केलिंग सूत्र में एक विशेष पेपर में सभी उम्मीदवारों के औसत को ध्यान में नहीं रखा गया था, बल्कि केवल उम्मीदवारों के उस समूह का औसत लिया गया था जिसकी जांच एक एकल द्वारा की गई थी।

परीक्षक। यू. पी. पी. एस. सी. के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी गलत है। 14 परीक्षकों के मूल्यांकन में असमानता को दूर करने के लिए स्केलिंग फॉर्मूला अपनाया गया था

जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भाग लिया और विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं कि स्केलिंग सूत्र को कैसे अपनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य v.

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

और आवेदन किया। इसलिए, हमें नहीं लगता कि डिवीजन बेंच की टिप्पणी कि आयोग ने अलग-अलग बातों पर ध्यान नहीं दिया

मानकों को अलग-अलग परीक्षकों द्वारा लागू किया गया हो सकता है, लेकिन एक ही परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों के अंतर को अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए कम करने की मांग की गई है, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई थी, वे सही हैं। डिवीजन बेंच का विचार था कि स्केलिंग के परिणामस्वरूप, शून्य अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के अंक 18 तक बढ़ा दिए गए थे और यह अवैध था और इस प्रकार चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। इस खोज का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि स्केलिंग प्रणाली को कैसे लागू किया गया था। 18

शून्य अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वैचारिक रूप से अंक दिए जाते थे ताकि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में भिन्नता को इंगित किया जा सके और औसत अंक तय किए जा सकें। 33. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, हम नहीं सोचते हैं कि विचाराधीन परीक्षाओं में स्केलिंग सूत्र का अनुप्रयोग या तो था

मनमाना या अवैध। उम्मीदवारों का चयन बेहतर तरीके से किया गया था। इसके अलावा, इस सूत्र को यू. पी. पी. एस. सी. द्वारा अपनाया गया था।

एक विशेषज्ञ अध्ययन के बाद और ऐसे मामलों में, अदालत निर्णय में नहीं बैठ सकती है और उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि यह शक्ति का एक मनमाना और अनुचित प्रयोग था और चयन स्वयं नियमों के विपरीत किया गया था। अंततः, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को इस बात पर विचार करना होगा कि किस विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे अपनाया जाना चाहिए।

असंख्य परिस्थितियाँ जो उनके सामने उत्पन्न हो सकती हैं।

34. इस अदालत ने संजय सिंह के बुनियादी तथ्यों पर ध्यान दियाः

" 2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुरोध पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 347 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए,

आयोग ने रोजगार में एक विज्ञापन जारी किया

आयोग द्वारा 21-3-2004 पर आयोजित "यू. पी. न्यायिक सेवा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा, 2003" के लिए। प्रारंभिक परीक्षा "वस्तुनिष्ठ" प्रकार की थी जिसमें दो पेपर सामान्य ज्ञान और कानून शामिल थे। परिणाम 30-6-2004 पर घोषित किया गया था और 6046 उम्मीदवारों को "यू. पी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा (मुख्य), 2003" के लिए उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित किया गया था जो "वर्णनात्मक" था। (पारंपरिक) प्रकार। मुख्य परीक्षा में पाँच पेपर [2022] 1 एस. सी. आर. शामिल थे।

(प्रत्येक 200 अंकों के साथ)-सामान्य ज्ञान, भाषा, कानून I, II और III-और 5-10-2004 और 7-10 2004 के बीच आयोजित किया गया था। उक्त परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या

5748 था। 3. प्रत्येक विषय से संबंधित उत्तर-लिपियों को मूल्यांकन के लिए कई परीक्षकों को वितरित किया गया था, क्योंकि उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं था।

एकल परीक्षक द्वारा बड़ी संख्या में मूल्यांकन किया गया। परीक्षकों की संख्या, जिन्हें मूल्यांकन के लिए उत्तर-पत्र वितरित किए गए थे, इस प्रकार थेः सामान्य ज्ञान-18, भाषा-14, विधि 1-11, विधि 2-10 और विधि 3-14। परीक्षकों द्वारा निर्धारित अंकों को "सांख्यिकीय स्केलिंग" के अधीन किया गया था और ऐसे स्केल किए गए अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे।

7-3-2005 पर। इसके बाद 1290 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया।

14-4-2005 और 26-4-2005 के बीच। इस साक्षात्कार के बाद, आयोग ने लिखित (मुख्य) परीक्षा में "स्केल किए गए अंकों" और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर 1-5,2005 को परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित किए। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की गईं

सिविल जज, जूनियर डिवीजन के 347 पदों पर नियुक्त किया गया।

34.1 इस न्यायालय से लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई "स्केलिंग सिस्टम" की शुद्धता पर विचार करने के लिए कहा गया था। विचार करें।

यू. पी. न्यायिक सेवा नियम, 2001 के पाठ में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा के संबंध में "स्केलिंग सिस्टम" अनुपयुक्त था। यह देखा गया कि सुभाष चंद्र दीक्षित और ओआरएस में पहले के निर्णय में। 1 2 12 इस न्यायालय ने स्केलिंग को बरकरार रखा था और उन्होंने फैसला सुनाया था कि विभिन्न विषयों में कच्चे अंकों को एक सामान्य पैमाने पर लाने के लिए स्केलिंग एक मान्यता प्राप्त विधि थी। हालाँकि, यह पाया गया कि न्यायिक सेवा नियमों में लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियमों के नियम 51 के प्रावधान के समान कोई प्रावधान नहीं था।

इस मुद्दे पर प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थीः

" 17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक सेवा नियम न्यायिक सेवा में भर्ती को नियंत्रित करते हैं, जो आयोग और उच्च न्यायालय दोनों के परामर्श से अनुच्छेद 234 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया है। यह भी प्रदान करता है कि किन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए और प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक जाँच। लेकिन न्यायिक सेवा नियम परीक्षा आयोजित करने का कार्य आयोग को सौंपते हैं। न्यायिक सेवा नियम उत्तर प्रदेश राज्य के आयोजन के तरीके और प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करते हैं।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा और मूल्यांकन और अंतिम अंकों का पुरस्कार और परिणामों की घोषणा। इसलिए, यह आयोग पर है कि वह उस तरीके को विनियमित करे जिसमें वह परीक्षा आयोजित करेगा और न्यायिक सेवा नियमों के प्रावधानों के अधीन उत्तर-लिपियों को महत्व देगा। यदि आयोग ने परीक्षा की प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से न्यायिक सेवा सहित किसी भी सेवा में भर्ती के लिए उसके द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा पर लागू होंगे। लेकिन जहां न्यायिक सेवा नियम एक विशिष्ट बनाते हैं

परीक्षा के किसी भी पहलू के संबंध में प्रावधान, ऐसा प्रावधान प्रबल होगा, और पी. एस. सी. प्रक्रिया नियमों का प्रावधान, इस हद तक कि यह न्यायिक सेवा नियमों के साथ असंगत है, लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यदि दोनों नियमों में किसी विशेष मामले के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो पी. एस. सी. प्रक्रिया नियम परिणाम देंगे।

न्यायिक सेवा नियमों के लिए।

18. जिस तरीके से योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार की जानी चाहिए, वह न्यायिक सेवा नियमों और दोनों में प्रदान की गई है पी. एस. सी प्रक्रिया नियम। न्यायिक सेवा नियमों के नियम 20 (3) और परिशिष्ट II के नोट (i) और पी. एस. सी. प्रक्रिया नियमों के नियम 51 के प्रासंगिक भाग जो अंकों के एकत्रीकरण और योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रदान करते हैं, नीचे दिए गए हैं:

न्यायिक सेवा नियम

पीएससी प्रक्रिया नियम " 51. एस. ओ. द्वारा प्राप्त अंक-पत्र साक्षात्कार के अंतिम दिन खोले जाएंगे और

" 20. (3) आयोग ने तब

एक अंतिम सूची तैयार करेगा के क्रम में चयनित उम्मीदवार

इसके तुरंत बाद लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के अंक जोड़े जाएंगे।

द्वारा प्रकट की गई उनकी प्रवीणता

अंत में अंकों का योग प्रत्येक उम्मीदवार को दिया गया पुरस्कार

लिखित परीक्षा और

साक्षात्कार "।

इसके बाद, इस प्रकार प्राप्त योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी और परिणाम की अंतिम घोषणा के लिए आयोग के समक्ष रखी जाएगी:

परिशिष्ट II का नोट (i)-"(i)

में प्राप्त अंक

साक्षात्कार को जोड़ा जाएगा

लिखित में प्राप्त अंक

नामांकन पत्र और उम्मीदवार का स्थान

के कुल पर निर्भर करेगा

बशर्ते कि आयोग

दोनों "।

साक्षात्कार, कोई भी तरीका अपनाएँ,

उपकरण या सूत्र जो वे

इसके लिए उचित सोचें

उद्देश्य "।

(अलग जोर दिया जाता है)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूंकि क्षेत्र न्यायिक सेवा नियमों के परिशिष्ट II के नियम 20 (3) और नोट (i) द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वे सामान्य से अधिक प्रबल होंगे। पी. एस. सी. प्रक्रिया नियमों के नियम 51 में प्रावधान।

19. नियम 20 (3) लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंत में दिए गए अंकों के योग द्वारा प्रकट की गई उनकी प्रवीणता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदान करता है।

और साक्षात्कार "। नोट (i) न्यायिक सेवा नियमों के परिशिष्ट II में यह प्रावधान है कि "साक्षात्कार में प्राप्त अंकों" को "लिखित पत्रों में प्राप्त अंकों" में जोड़ा जाएगा और यह कि उम्मीदवार का स्थान दोनों के योग पर निर्भर करेगा। हालांकि

न्यायिक सेवा नियम "अंत में दिए गए अंकों" को संदर्भित करते हैं, उक्त नियमों में पी. एस. सी. प्रक्रिया नियमों के नियम 51 के प्रावधान के समान कोई प्रावधान नहीं है, जो आयोग को अंकों में भिन्नता को समाप्त करने के लिए किसी भी विधि, उपकरण या सूत्र को अपनाने में सक्षम बनाता है। नियम 51 के परंतुक या उस प्रभाव के शब्दों को न्यायिक सेवा नियमों के नियम 20 (3) या परिशिष्ट II के नोट (i) में पढ़ना संभव नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतें किसी क़ानून में शब्द नहीं जोड़ेंगी या क़ानून के शब्दों में नहीं पढ़ेंगी जो उसमें नहीं हैं। यहां तक कि अगर अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि उपयोग किए गए शब्दों में कोई चूक है, तो यह कमी को पूरा नहीं कर सकती है, जहां शब्दांकन स्पष्ट और स्पष्ट है। जबकि अदालतें एक ऐसे निर्माण को अपना सकती हैं जो विधायी या नियम बनाने वाले प्राधिकरण के स्पष्ट इरादे को पूरा करेगा, यह किसी क़ानून या नियमों में स्पष्ट रूप से व्यक्त विधायी इरादे को शून्य नहीं कर सकता है।

इसलिए, परिशिष्ट II के नियम 20 (3) और टिप्पणी (i) को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे पी. एस. सी. प्रक्रिया नियमों के नियम 51 में परंतुक को जोड़े बिना हैं। यदि ऐसा है, तो चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए क्या ध्यान में रखा जा सकता है, लिखित परीक्षा में "अंत में एक उम्मीदवार को अंक दिए जाते हैं" और

साक्षात्कार। परीक्षक द्वारा दिए गए अंक अनिवार्य रूप से किसी उम्मीदवार को दिए गए अंक नहीं होते हैं। यदि परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों में कोई त्रुटि है तो इसे आयोग द्वारा हमेशा ठीक किया जा सकता है और सही किए गए अंक "उम्मीदवार को दिए गए अंतिम अंक" होंगे। जहां आयोग का विचार है कि अंकों में "परीक्षक परिवर्तनशीलता" है (उत्तर-लिपियों के सख्त या उदार मूल्यांकन के कारण) या अनुचित है।

एक द्वारा अनियमित या लापरवाही से अंकन के कारण मूल्यांकन परीक्षक, उन्हें संयम द्वारा उचित रूप से ठीक किया जा सकता है। संयम या तो जोड़कर किया जाता है (सख्त परीक्षकों के मामले में) या उत्तर प्रदेश राज्य v।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

(उदार परीक्षकों के मामले में) एक विशेष संख्या में अंकों की कटौती जो इन सिद्धांतों के संदर्भ में तय किए गए हैं -

20. हम याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि "दिए गए अंक" या "लिखित पत्रों में प्राप्त अंक" शब्द केवल परीक्षक द्वारा दिए गए वास्तविक अंकों को संदर्भित करते हैं। " मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक परीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अंकों पर समाप्त नहीं होती है। परीक्षक द्वारा अंक प्रदान करना मूल्यांकन प्रक्रिया का केवल एक चरण है। परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए जाने पर मॉडरेशन मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है और मॉडरेशन पर दिए गए अंक मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं।

"लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंत में दिए गए अंक", जिसका अर्थ है कि परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों को मॉडरेशन द्वारा बदला जा सकता है। 21. लेकिन सवाल यह है कि क्या कच्चे अंक जिन्हें अनुमानित चर (अनुमानित औसत अंक और अनुमानित मानक विचलन) के साथ कृत्रिम पैमाने पर स्केल किए गए अंकों में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें "अंत में दिए गए अंक" या "प्राप्त अंक" माना जा सकता है। स्केल किए गए अंक किसी उम्मीदवार को लिखित रूप में दिए गए अंक नहीं हैं।

जाँच, लेकिन एक आंकड़ा रखा जा रहा है के उद्देश्य के लिए आया

प्रश्न (iii) से निपटना। प्रश्न (iii) पर विचार करते समय दिए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि "स्केल किए गए अंक" या "स्केल किए गए अंक" इसे "लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को दिए गए अंक" नहीं माना जा सकता है। इसलिए, स्केलिंग न्यायिक सेवा नियमों के परिशिष्ट II के नियम 20 (3) और नोट (i) का उल्लंघन करता है।

24. न्यायिक सेवा परीक्षा में, उम्मीदवारों को सभी पांच विषयों [2022] 1 एस. सी. आर. के संबंध में परीक्षा देने की आवश्यकता थी।

और उम्मीदवारों के पास विषयों के संबंध में कोई विकल्प नहीं था।

ऐसी स्थिति में संयम एक आदर्श समाधान प्रतीत होता है। लेकिन ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जिनमें एक प्रतिस्पर्धी स्थिति होती है जहाँ उम्मीदवारों के पास विभिन्न प्रकार के विषम विषयों और छात्रों की संख्या में से एक या कुछ का चयन करने का विकल्प होता है।

विभिन्न विकल्प लेना भी अलग-अलग होता है और ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करना आवश्यक हो जाता है। आओ हम।

मान लीजिए कि कुछ उम्मीदवार गणित को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं और कुछ अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं। यह अच्छी तरह से माना जाता है कि गणित में 100 में से 70 के अंकों का मतलब अंग्रेजी में 100 में से 70 के बराबर नहीं है। अंग्रेजी में 100 में से 70 एक उत्कृष्ट छात्र को इंगित कर सकते हैं जबकि

मैट्रिक स्तर। इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन या मूल्यांकन को एक सामान्य पैमाने पर लाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का पता लगाया जा सके। पहले के पैरा में संदर्भित मॉडरेशन प्रक्रिया केवल परीक्षक परिवर्तनशीलता की समस्या का समाधान करेगी। जहाँ परीक्षक बहुत हैं, लेकिन उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन एक ही विषय के संबंध में होता है। मॉडरेशन कोई जवाब नहीं है जहां समस्या कई विषयों में अंतर योग्यता खोजने की है, यानी जहां उम्मीदवार विभिन्न विषयों में परीक्षा देते हैं। विभिन्न विषयों में अंतर योग्यता की समस्या को हल करने के लिए, सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने स्केलिंग के रूप में जानी जाने वाली एक विधि विकसित की है, जो कि स्केल किए गए अंकों का निर्माण है। स्केलिंग विभिन्न परीक्षणों या परीक्षण प्रपत्रों के अंकों को एक सामान्य पैमाने पर रखता है। सांख्यिकीय अंकांकन के विभिन्न तरीके हैं। मानक अंक विधि, रैखिक मानक अंक उत्तर प्रदेश राज्य v.

25. ए. एडविन हार्पर जूनियर और वी. विद्या सागर मिश्रा ने अपने प्रकाशन रिसर्च ऑन एग्जामिनेशन इन इंडिया में स्केलिंग को समझाने और परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम उपयोगी रूप से वही उधार ले सकते हैं। एक डिग्री "फ़ारेनहाइट" एक डिग्री "सेंटीग्रेड" से अलग होती है। यद्यपि दोनों डिग्री में तापमान व्यक्त करते हैं, "डिग्री" के लिए अलग-अलग है दो तराजू। सेंटीग्रेड पैमाने में जो 40 डिग्री है वह फ़ारेनहाइट पैमाने में 104 डिग्री है। इसी तरह, जब अलग-अलग पत्रों में उत्तर देने के लिए अंक दिए जाते हैं, जैसे ज्यामिति में परीक्षक 'ए' और इतिहास में परीक्षक 'बी', तो 'अंकों' का अर्थ या मूल्य अलग होता है। स्केलिंग वह प्रक्रिया है जो लाती है

ज्यामिति पैमाने के संबंध में परीक्षक 'ए' द्वारा दिए गए अंक और इतिहास पैमाने के संबंध में परीक्षक 'बी' द्वारा एक सामान्य पैमाने पर दिए गए अंक। स्केलिंग उन अंकों को रखने का अभ्यास है जो विभिन्न विषयों में विभिन्न परीक्षकों द्वारा अपनाए गए विभिन्न पैमानों के परिणाम हैं ताकि अनुमति दी जा सके।

अंतर योग्यता की तुलना। इस अभ्यास द्वारा, विभिन्न विषयों में परीक्षक द्वारा दिए गए कच्चे अंकों को एक सांख्यिकीय सूत्र लागू करके एक सामान्य पैमाने पर "अंक" में परिवर्तित किया जाता है। "कच्चे निशान" को जब एक सामान्य पैमाने में परिवर्तित किया जाता है तो उन्हें "स्केल किए गए निशान" के रूप में जाना जाता है। स्केलिंग प्रक्रिया, जिसमें कच्चे निशान होते हैं

34.2 अंत में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए: " 53. तथापि, जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, हम मामले के तथ्यों पर पूर्ण न्याय करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

(क) यदि लिखित परीक्षा में कच्चे अंकों का योग और किसी भी याचिकाकर्ता के साक्षात्कार में अंक कम हैं

संबंधित श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा (उदाहरण के लिए, 'बी. सी.' श्रेणी से संबंधित 2005 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 165 में याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः 361 और 377 के कच्चे अंक प्राप्त किए हैं।

लिखित परीक्षा, जबकि उस श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों में से अंतिम पांच ने 390, [2022] 1 एस. सी. आर. के कच्चे अंक प्राप्त किए हैं।

391 , 397 , 438 और क्रमशः 428। साक्षात्कार के अंक जोड़ने के बाद भी, 2005 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 165 में याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित उम्मीदवारों के अंकों से कम हैं)।

(ख) जहां लिखित परीक्षा में कच्चे अंकों का योग और किसी भी याचिकाकर्ता के साक्षात्कार के अंक, लिखित परीक्षा में कच्चे अंकों के योग से अधिक हैं। और अंतिम चयनित उम्मीदवार के साक्षात्कार के अंक

श्रेणी, वह में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा

भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ उनकी नियुक्ति की गिनती करके संबंधित श्रेणी। [उदाहरण के लिए, हम पाते हैं कि 2005 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 467 में याचिकाकर्ताओं में से एक, याचिकाकर्ता अर्चना रानी ने 384 कच्चे अंक प्राप्त किए हैं जो अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत पिछले पांच चयनित उम्मीदवारों (347,337,336,383 और 335) द्वारा प्राप्त कच्चे अंकों से अधिक है और साक्षात्कार जोड़ने के बाद भी।

उसके अंक पाँच चयनित उम्मीदवारों से अधिक हैं। इसलिए, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।] यह राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास है 31-8-2005 के समक्ष इस न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

35. महिंदर कुमार और ओआरएस में। वी. मध्य का उच्च न्यायालय

इश और संबंधित नियम 7 के विज्ञापन के पैरा 9 के प्रासंगिक खंडों पर इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विचार किया गया थाः

" 15. विज्ञापन में कहा गया है कि 20 पदों में से 11 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और तीन-तीन पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए आरक्षित थे

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे पदों को अनारक्षित माना जाएगा। विज्ञापन का पैरा 9 जिसमें उपखंड (i) से (vii) शामिल हैं, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। वही होना आवश्यक है निकाला गया, जो नीचे पढ़ा गया हैः

" (i) उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक चरण यानी लिखित परीक्षा से पहले शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

(ii) योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अपने खर्च पर उपस्थित होना होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, या इस तरह के अन्य

उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले स्थान।

((iii) लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे।

प्रत्येक 3 घंटे की अवधि और अधिकतम 100 अंकों की। लिखित परीक्षा का उद्देश्य कानून और नवीनतम घोषणाओं में उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करना है। पहला पेपर

यह भारत के संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी, हिंदू कानून, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, एम. पी. आवास नियंत्रण अधिनियम, सीमा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, विशेष अधिनियमों से संबंधित होगा। एन. डी. पी. एस. की तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण

हिन्दी में अनुवाद करें। (iv) केवल ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय ले सकता है।

(v) साक्षात्कार 25 अंकों का होगा।

(vi) उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

साक्षात्कार।

एम. पी. राजपत्रा और सभी उम्मीदवार दोनों सफल और असफल होने पर उन्हें दिए गए मार्कशीट की आपूर्ति की जाएगी।

सामान्य डाक द्वारा पता।

" "

16. उक्त पैरा 9 में बताया गया है कि लिखित परीक्षा से पहले प्रारंभिक चरण में ही उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची कैसे तैयार की गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के उपस्थित होने की आवश्यकता जिसमें दो पेपर होते हैं, जहां प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंक 100 होते हैं और प्रासंगिक कानून जिसमें परीक्षा दोनों में आयोजित की जाती है। कागजात भी निर्दिष्ट किए गए थे। पैरा 9 (iv) में, यह निर्दिष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय अपने [2022] 1 एस. सी. आर. के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय ले सकता है।

उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए लिखित परीक्षा में प्रदर्शन। पैरा 9 (v) के तहत साक्षात्कार के अंक निर्दिष्ट किए गए थे।

25 तक। पैरा 9 (vi) में यह उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में। आखिरी बात। संशोधित नियम 7 का अनुच्छेद भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः

" प्रत्यक्ष भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया और

पदोन्नति ऐसी होगी जो समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

35.1 इस सवाल पर कि क्या उच्च न्यायालय लिखित विवरण में प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने का हकदार था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 37. एक बार जब हम उक्त स्थिति से स्पष्ट हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का अगला निवेदन यह था कि जब नियम 7 माना जाता है तो उच्च न्यायालय को अपना खुद का पालन करने का अधिकार देता है।

प्रक्रिया, इसका विज्ञापन में खुलासा किया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क था कि उच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई किसी भी प्रक्रिया का खुलासा उच्च न्यायालय द्वारा या कम से कम लिखित परीक्षा आयोजित होने से पहले किया जाना चाहिए था। जब हम उक्त पर विचार करते हैं

प्रस्तुत करते हुए, हम पाते हैं कि विज्ञापन के पैरा 9 में एक स्पष्ट संकेत है कि उच्च न्यायालय किस तरीके से जा रहा है

चयन प्रक्रिया का संचालन करनाः

37.1 . पैरा 9 (i) यह स्पष्ट करता है कि उम्मीदवारों को प्रारंभिक चरण में यानी लिखित परीक्षा आयोजित होने से पहले चुना जा सकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी गलती नहीं पा सकता है, क्योंकि इस तरह की छोटी सूची अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन उम्मीदवारों में से जो विज्ञापन के पैरा 2-8 की शर्तों को पूरा करते हैं, उनका विधिवत पालन किया जाता है।

के साथ।

37.2 . वास्तव में, पैरा 8 यह स्पष्ट करता है कि उम्मीदवार द्वारा समय पर आवेदन पत्रों आदि की प्राप्ति न होने को आवेदन पत्रों को देर से जमा करने के बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात्, पद के लिए कोई भी आवेदन पहले जमा किया जाना है। 30-9-2006 , जो भी विवरण प्रस्तुत करने की

आवश्यकता थी, उसे प्रस्तुत करते हुए सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य को भी संतुष्ट करना चाहिए।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।] विभिन्न स्थितियाँ जैसे, आयु प्रतिबंध, अभ्यास के वर्ष,

चरित्र प्रमाण पत्र, नागरिकता, आदि। यदि ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं नियम 9 (i) के तहत निहित ऐसी शक्ति का प्रयोग करके, उच्च न्यायालय लिखित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ऐसे उम्मीदवारों के विचार को बाहर करने का पूरी तरह से हकदार होगा।

37.3 . पैरा 9 (iii) में, यह पर्याप्त रूप से इंगित किया गया है कि लिखित परीक्षा का प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि के लिए होगा, जिसमें अधिकतम 100 अंक प्राप्त किए जाएंगे। प्रथम और द्वितीय दोनों पेपरों में लिखित परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य पर भी पैरा 9 (iii) में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

37.4 . एक बार लिखित परीक्षा का भाग पूरा हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय को एक प्रक्रिया तैयार करनी होती है जिसके द्वारा उत्तर पत्र तैयार किए जाते हैं।

संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाए। इसलिए, पैरा 9 (iv) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाने से पहले कौन

37.5 . अतः "मूल्यांकन" पद, लिखित परीक्षा में उम्मीदवार की योग्यता को बराबर करने और कानून के अनुरूप किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए, न्यूनतम अंक प्राप्त करने, मूल्यांकन करने के तरीके और किसी भी आवश्यकता की स्थिति को अपने तह में ले लेगा, ताकि अंततः एक निष्पक्ष प्रक्रिया पर पहुंचा जा सके जिसके द्वारा उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में अंकों के मूल्यांकन के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सके। 38. ऐसी स्थिति में, जहां लगभग 3000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उत्तर पत्रों का मूल्यांकन किया गया

कई जिला न्यायाधीशों द्वारा, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरों के मूल्यांकन और विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यवान अंकों के पुरस्कार में भिन्नता की पूरी गुंजाइश थी। उच्च न्यायालय ने नियम 7 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, पैरा 9 (iv) के साथ पढ़ने के क्रम में उम्मीदवारों के अंकों को सामान्य करने के लिए एक उचित प्रक्रिया अपनाई।

उनके संबंधित गुणों का आकलन करना। इसलिए, पैरा 9 (iv) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" को पूरी तरह से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय को इस तरह के मामले में भी इस तरह के कदम का सहारा लेना चाहिए, जहां अधिक संख्या में जिला न्यायाधीशों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया और इस तरह, उसे उच्च न्यायालय [2022] 1 एस. सी. आर. के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

इसके प्रशासनिक पक्ष में, एक उचित तरीका खोजने के लिए जिसके द्वारा अंकों के सामान्यीकरण पर काम किया जा सके। प्रक्रिया को अपनाने में उच्च न्यायालय की ओर से कार्रवाई

36. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुभाष चंद्र दीक्षित 1 2 का फैसला इस अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ ने किया था जबकि संजय सिंह 3 और महिंदर कुमार 1 3 का फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा किया गया था। इसके अलावा, संजय सिंह में निर्णय को महिंदर कुमार 1 3 में निर्णय के पैराग्राफ 7 में देखा गया था, लेकिन नियम 7 और पैरा 9 (iv) में देखा गया था।

विज्ञापन पर्याप्त रूप से इतने व्यापक पाए गए कि एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जा सके जिसके द्वारा अंकों के सामान्यीकरण पर काम किया जा सके।

37. सुनील कुमार और अन्य बनाम। बिहार लोक सेवा

आयोग और अन्य 1 4, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ,

अन्य प्रश्न, संजय सिंह में निर्णय की प्रयोज्यता को उन मामलों में माना जाता है जहां उम्मीदवारों का परीक्षण विभिन्न विषयों में किया गया था, जबकि परीक्षा में प्रश्न पत्र अनिवार्य थे। और सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य। चर्चा इस प्रकार थीः

" 11. हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में जो प्रश्न उत्तर की मांग करता है, वह यह है कि क्या संजय सिंह में इस न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन करते समय आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में कोई सिद्धांत या निर्देश निर्धारित किया था और विशेष रूप से क्या ऐसा कोई सिद्धांत या निर्देश विभिन्न विषयों से जुड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाना है। उपरोक्त प्रश्न के साथ निकटता से जुड़ा हुआ एक अन्य संवैधानिक प्राधिकरण यानी लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान के तथ्यों में लिए गए निर्णयों की जांच करने की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार है।

मामला।

.....

13. हमने संजय सिंह 3 के फैसले को पढ़ा और उस पर विचार किया है। उक्त मामले में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए किए गए चयनों की वैधता पर विचार कर रहा था

14 1 4 (2016) 2 एस. सी. सी. 495 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

एक प्रतियोगी परीक्षा का आधार जिसमें नियमों ने पाँच (5) पेपर निर्धारित किए थे, जिनमें से सभी सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यू. पी. लोक सेवा आयोग

कम किए गए अंकों को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं दी गई, एक परीक्षा के लिए स्केलिंग विधि को अपनाने की शुद्धता के आगे के प्रश्न में चला गया जहां पेपर थे सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और सामान्य। ऐसा करने में, यह निम्नानुसार देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 742, पैरा 24)

" 24. पहले के पैराग्राफ में संदर्भित मॉडरेशन प्रक्रिया केवल परीक्षक परिवर्तनशीलता की समस्या का समाधान करेगी, जहां परीक्षक कई हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही विषय के संबंध में है। मॉडरेशन कोई जवाब नहीं है कि कहाँ समस्या यह है कि कई विषयों में योग्यता का पता लगाया जाए, यानी जहां उम्मीदवार विभिन्न विषयों में परीक्षा देते हैं। विभिन्न विषयों में अंतर योग्यता की समस्या को हल करने के लिए, सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने स्केलिंग के रूप में जानी जाने वाली एक विधि विकसित की है, जो कि स्केल किए गए अंकों का निर्माण है। स्केलिंग विभिन्न परीक्षणों या परीक्षण प्रपत्रों के अंकों को एक सामान्य पैमाने पर रखता है। सांख्यिकीय अंकांकन के विभिन्न तरीके हैं। मानक अंक विधि,

रैखिक मानक अंक विधि, सामान्यीकृत समतुल्य विधि स्केलिंग के लिए कुछ मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं।

इसके अलावा यह भी देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 742, पैरा 25)

" 25. ..... स्केलिंग प्रक्रिया, जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे निशान

विषयों को एक सामान्य पैमाने पर समायोजित किया जाता है, जो विभिन्न विषयों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने की एक मान्यता प्राप्त विधि है, उदाहरण के लिए,

सिविल सेवा परीक्षा "।

14. ऊपर के रूप में अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने इस विषय पर कई प्रकाशित कार्यों पर उचित विचार करने पर,

पूर्व शर्तें, जिनका अस्तित्व या पूर्ति, अकेले, एक स्वीकार्य परिणाम सुनिश्चित कर सकती है यदि स्केलिंग विधि को अपनाया जाना है। जैसा कि संजय सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने

उक्त पूर्व शर्तों के अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं किया

परिणाम की घोषणा में परिणामी प्रभाव अस्वीकार्य पाए गए। यह बार-बार इस न्यायालय [2022] 1 एस. सी. आर. द्वारा इंगित किया गया था।

36 और 37) कि स्केलिंग विधि को अपनाने से असमानों को समान मानने में मदद मिली थी। इसके बाद, पैरा 45 में यह

हमारा आयोजन इस प्रकार किया गयाः (एस. सी. सी पी. 751)

" 45. अब हम स्केलिंग के संबंध में स्थिति को संक्षेप में बता सकते हैं।

इस प्रकारः

(i) केवल कुछ स्थितियों में स्केलिंग को अपनाने की आवश्यकता होती है।

तकनीकें।

((ii) सांख्यिकीय मापन की कई विधियाँ हैं, जिनमें से कुछ सरल और कुछ जटिल हैं। प्रत्येक विधि या प्रणाली के अपने गुण और अवगुण होते हैं और इसे केवल कुछ शर्तों के तहत अपनाया जा सकता है।

या कुछ धारणाएँ बनाना।

प्रत्येक अन्य परीक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं का समूह भेजा जाता है। (iv) रैखिक मानक विधि में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि

विभिन्न स्तरों पर अंकों की सीमा से उम्मीदवार प्राप्त करेंगे

तुलनात्मक क्षमता।

(v) किसी भी स्केलिंग विधि की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।

और मूल्यांकन और सुधार, यदि यह एक विश्वसनीय उपकरण होना है

चयन प्रक्रिया। (vi) स्केलिंग, एक सीमित सीमा तक, सामान्य भिन्नता को समाप्त करने में सफल हो सकती है जो परीक्षक से परीक्षक तक मौजूद है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली परीक्षक परिवर्तनशीलता को हल करने का समाधान नहीं है।

' बाज-कबूतर प्रभाव (सख्त/उदार मूल्यांकन)।

5. इसके अलावा, पैरा 46 में, इस न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह खुलासा नहीं होता है कि आयोग या किसी विशेषज्ञ ने स्केलिंग की ई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लेने के लिए उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखा था। वास्तव में, उक्त अनुच्छेद में इस न्यायालय ने

निम्नलिखित रूप में उपयोग किया जाता हैः (संजय सिंह, एससीसी पी। 751)

" 46. ..... हम पहले ही विसंगतियों का प्रदर्शन कर चुके हैं / उपयोग की जाने वाली स्केलिंग प्रणाली से उत्पन्न होने वाली बेतुकी बातें। द.

आयोग को विशेषज्ञों की एक अन्य समिति नियुक्त करके यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन की एक उपयुक्त प्रणाली की पहचान करनी होगी। जब तक ऐसी नई प्रणाली लागू नहीं हो जाती, आयोग उचित संशोधनों के साथ उपरोक्त पैरा 23 में निर्धारित संयम प्रणाली का पालन कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य v.

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

ध्यान दिया। संजय सिंह 3 के फैसले के पैरा 48 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुभाष चंद्र दीक्षित 1 2 में अपनाई गई स्केलिंग प्रणाली इस न्यायालय की मंजूरी प्राप्त हुई क्योंकि इसे आयोग द्वारा एक गहन विशेषज्ञ अध्ययन के बाद अपनाया गया था और सुभाष चंद्र दीक्षित 1 2 में इस न्यायालय द्वारा स्केलिंग विधि की मंजूरी उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित होनी चाहिए।

17. अंत में, संजय सिंह में रिपोर्ट के पैरा 51 में अदालत ने आयोग की ओर से की गई इस दलील पर ध्यान दिया कि वह किसी विशेष प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और "यदि वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण पाई जाती है तो एक अलग या बेहतर प्रणाली अपनाएगी" (एससीसी पी। 754)।

18. संजय सिंह के मामले में न्यायालय उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की वैधता पर विचार कर रहा था।

स्केलिंग विधि को अपनाकर। इस न्यायालय के अनुसार, ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि स्केलिंग प्रणाली एक ऐसी परीक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में पेपर लिखने की आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नगत परीक्षा में सभी पेपर सामान्य और अनिवार्य थे। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय को आवश्यक रूप से स्केलिंग विधि में निहित विस्तृत मापदंडों का विश्लेषण करना था और फिर स्केलिंग विधि के अनुप्रयोग पर परिणाम देने वाले परिणामों को दर्ज करने से पहले प्रश्नगत परीक्षा में विधि को अपनाने के प्रभाव के संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुंचना था। इस संबंध में विवरण पहले ही देखा जा चुका है (संजय सिंह मामला 3, पैरा 45 और 46) (पैरा 14 और 15 में)।

19. संजय सिंह 5 में पूरी चर्चा और निष्कर्ष एक परीक्षा के लिए स्केलिंग प्रणाली की उपयुक्तता के सवाल के संबंध में थे जहां प्रश्न पत्र अनिवार्य और सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है और निकाला गया है, स्केलिंग विधि की कमियां और कमियां उपरोक्त संदर्भ में थीं। लेकिन क्या संजय सिंह ने 3 ले रखी थी?

स्केलिंग विधि को अपनाने के संबंध में कानून की किसी भी बाध्यकारी और लचीली आवश्यकता को एक परीक्षा के लिए कम करना जहां [2022] 1 एस. सी. आर.

उम्मीदवारों का परीक्षण वर्तमान में विभिन्न विषयों में किया जाता है।

जाँच? उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाले गए थे और राय व्यक्त की गई थी, यह है

यह समझना मुश्किल है कि संजय सिंह 3 में इस न्यायालय ने परीक्षा आयोजित करने, प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन और आयोग द्वारा परिणामों की घोषणा के संबंध में कानून या निर्देशों या यहां तक कि दिशानिर्देशों का कोई बाध्यकारी सिद्धांत कैसे निर्धारित किया है। हमारे विचार में जो माना गया था वह यह था कि स्केलिंग एक ऐसी विधि है जो आम तौर पर अपनाने के लिए अनुपयुक्त थी।

सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य विषयों के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन और प्रश्न में परीक्षा के लिए उक्त विधि के आवेदन के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य परिणाम आए थे। संजय सिंह ने यह तय नहीं किया कि इस तरह की परीक्षा के लिए पेपर कहाँ हैं।

सामान्य तौर पर मॉडरेशन की प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए और एक ऐसी परीक्षा के लिए जहां पेपर/विषय अलग हैं, स्केलिंग ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। हम संजय सिंह में उपरोक्त प्रभाव के लिए कोई कानून या पूर्ववर्ती या सिद्धांत की घोषणा नहीं पा रहे हैं।

जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से हमारे सामने प्रचार किया गया है। इसलिए, यह समझना होगा कि निर्णय मामले के तथ्यों तक ही सीमित है, जो एक विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले प्रासंगिक सेवा नियमों पर विचार करने पर दिया गया है।

20. हम यह नहीं समझ सकते कि कानून किसी विशेष प्रकार की परीक्षा के लिए संयम को अपनाने और दूसरों को मापने की आवश्यकता को लागू कर रहा है। दोनों, सबसे अच्छा, राय हैं, जिनके अभ्यास के लिए उन प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। व्यापक और विविध विषयों/विषयों को शामिल करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल कार्य है जो किसी भी एकल प्रक्रिया को अपनाकर या एक स्ट्रैटजैकेट सूत्र द्वारा तत्काल समाधान की अवहेलना करता है। न केवल परीक्षक की भिन्नताएँ और विभिन्न विषयों में अंकों के पुरस्कार में भिन्नताएँ भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

जवाब में, कई अन्य प्रश्न हैं जिनसे निपटने की भी आवश्यकता हो सकती है। बहु-अनुशासनात्मक परीक्षा प्रारूप में निर्धारित प्रश्नों की सख्ती में भिन्नता एक ऐसा अच्छा मुद्दा है जिसे संयोग से संजय सिंह में देखा गया था। एक सचेत चुनाव

विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय किसी उम्मीदवार द्वारा किसी विषय या विषय का चयन, जिससे सार्वजनिक परीक्षा में उसके पेपरों की पसंद सीमित हो जाती है; उत्तर पत्रों के अंतर-विषय मूल्यांकन के मानक और विभिन्न विषयों में मूल्यांकनकर्ताओं को उचित निर्देश जारी करना सभी विचार के प्रासंगिक क्षेत्र हैं।

प्रश्न और, हो सकता है, कई अन्य जो यहाँ पहचाने नहीं गए हैं किन प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उनके स्वभाव से, लोक सेवा आयोगों सहित क्षेत्र के विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि ऐसे निकायों सहित

आयोगों ने अतीत में गलती की है या जिम्मेदार तरीके से कम काम किया है, यह न्यायिक शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग का कारण नहीं हो सकता है, जिसे इसकी प्रकृति से ही समझना होगा।

आम तौर पर, सत्ता के मनमाने या दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरणों तक सीमित होना।

38. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मनोज में

कुमार यादव और एक अन्य ", चयन की प्रक्रिया में सामान्य अध्ययन में प्रारंभिक परीक्षा और एक वैकल्पिक विषय शामिल था, जबकि, मुख्य लिखित परीक्षा में चार अनिवार्य पेपर यानी सामान्य अध्ययन में दो और हिंदी और अंग्रेजी निबंध में एक-एक पेपर शामिल होना था। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और साथ ही मुख्य लिखित परीक्षा में "अंकों के मापन" को अपनाया था। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने संजय सिंह में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू किया और पाया कि अनिवार्य विषयों के लिए स्केलिंग विधि नहीं अपनाई जा सकती थी। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप कई चयनित उम्मीदवारों का विस्थापन होगा और योग्यता सूची में परिवर्तन होगा जिससे पिछले कुछ वर्षों से नियुक्त और काम करने वालों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा, राहत नहीं दी गई। प्रासंगिक चर्चा पैराग्राफ 13 और 15 में पाई जाती हैः

" 13. पीसीएस परीक्षा, 2004 और बैकलॉग परीक्षा में, 2004 उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षाओं में भाग लेना था जिसमें चार अनिवार्य विषय शामिल थे और

दो वैकल्पिक विषय। अनिवार्य विषय सभी उम्मीदवारों के लिए समान थे और विज्ञापनों में उल्लिखित उपलब्ध 33 विषयों में से दो वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाना था। संजय सिंह के मामलों में इस अदालत के फैसले के अनुसार, आयोग केवल वैकल्पिक विषयों के लिए स्केलिंग विधि का पालन कर सकता था, न कि अनिवार्य विषयों के लिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है कि स्केलिंग विधि का पालन किया गया था अनिवार्य विषय। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार करते हैं

कि पी. सी. एस. और बैकलॉग भर्ती का मूल्यांकन

परीक्षा, 2004 में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत था

संजय सिंह के मामले।

15. यह तय कानून है कि कुछ स्थितियों में, बाद की घटनाओं के कारण, इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतिम राहत उसके निर्णय के अनुपात निर्णय का स्वाभाविक परिणाम नहीं हो सकती है। ऐसी स्थितियों में, मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए न्यायालय द्वारा राहत को ढाला जा सकता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि संजय सिंह के मामलों को भी संचालन में संभावित बनाया गया था और इस न्यायालय ने पहले से ही चयनों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था

उस मामले में इस आधार पर बनाया गया कि राहत को ढाला जा सके। तत्काल मामले में, परीक्षाएँ अपीलार्थी द्वारा 1996 से उनके द्वारा अनुसरण किए जा रहे पैटर्न के आधार पर आयोजित की गई थीं। उस समय जब परीक्षाएँ आयोजित की गई थीं, एक निर्णय इस न्यायालय ने यू. पी. लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित 1 2 द्वारा अपनाई गई स्केलिंग विधि को मंजूरी देना

आयोग ने मैदान का आयोजन किया। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2007 में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर की गई थी और वे तब से लगातार काम कर रहे हैं। उक्त परीक्षाओं के संचालन में किसी भी अनियमितता या कदाचार का कोई आरोप नहीं है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को स्केलिंग विधि को अपनाने में अपीलार्थी द्वारा की गई त्रुटि के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ऊपर, हम 2004 में आयोजित परीक्षाओं में चयन के अनुसार की गई नियुक्तियों में बाधा डालना उचित नहीं समझते हैं।

39. इन फैसलों की पृष्ठभूमि में, तत्काल मामलों में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि 63 लाख से अधिक आवेदकों ने जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनकी उम्मीदवारी का परीक्षण 12 दिनों में 29 अलग-अलग बैचों में आयोजित लिखित परीक्षाओं में किया गया था। द.

इस न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों में तत्काल मामलों में उत्पन्न होने वाली तथ्य स्थिति के समान व्यवहार नहीं किया गया था। उपरोक्त निर्णयों में उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी (सुभाष चंद्र दीक्षित में 4270,12,51524 और 5748 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में क्रमशः संजय सिंह 3 में और महिंदर कुमार में लगभग 3000)। इसके अलावा, ये निर्णय संबंधित पेपरों के लिए "एकल परीक्षा" से संबंधित थे या

विषय और परिवर्तनशीलता या तो परीक्षकों के संबंध में या विभिन्न वैकल्पिक विषयों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में थी।

40. एकल परीक्षा के मामले जहां कई संख्या में परीक्षक हैं, परीक्षक द्वारा संयम अपनाने की आवश्यकता हो सकती है-उत्तर प्रदेश राज्य v.

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

उद्देश्यों के लिए गठित प्रमुख या ऐसा निकाय। इसके विपरीत, स्केलिंग

अंकों की संख्या को एक उपयुक्त विधि माना गया है जहाँ

उम्मीदवारों का विभिन्न विषयों में परीक्षण किया जाता है। जैसा कि इस अदालत ने 'संजय सिंह' में देखा, एक उम्मीदवार ने 'गणित' में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। "अंग्रेजी" में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के बराबर नहीं कहा जा सकता है। समान या अनिवार्य परीक्षा में परीक्षक की परिवर्तनशीलता के विपरीत, इस प्रकार विषय परिवर्तनशीलता को सभी उम्मीदवारों को एक समान स्थिति में रखने के लिए एक विधि के रूप में "अंकों के मापन" को अपनाने के लिए एक अच्छा आधार पाया गया।

41. तत्काल मामलों में, हम हालांकि एक ऐसे आयाम से चिंतित हैं जिस पर पहले विचार नहीं किया गया था, अर्थात् परिवर्तनशीलता

42. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुनील कुमार 1 4 में पाया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि संजय सिंह के मामले में निर्णय ने एक अनम्य नियम निर्धारित किया है कि चिह्नों को कभी अपनाया नहीं जा सकता है। वास्तव में, हालांकि, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संजय सिंह में पहले के फैसले पर ध्यान दिया, उसने महिंदर कुमार में उसी परीक्षा में "अंकों के मापन" में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को उचित पाया ताकि उत्तरों के मूल्यांकन और विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यवान अंकों के पुरस्कार में भिन्नता की हर गुंजाइश को समाप्त किया जा सके। संबंधित प्रावधान

अर्थात् विज्ञापन के पैरा 9 के खंड (iv) और संशोधित नियम 7 के अंतिम पैराग्राफ को सशक्त बनाने और अनुमति देने के लिए पर्याप्त माना गया था।

उच्च न्यायालय "अंकों के मापन" को अपनाएगा।

43. महिंदर कुमार 1 3 में विचार किए गए नियम 7 की तर्ज पर, खंड "लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया होगी

बोर्ड द्वारा निर्धारित और नियम 15 (बी) में दिखाई देने के रूप में अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, विशेष रूप से बोर्ड को प्रक्रिया तैयार करने या निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। परिशिष्ट-3 और विशिष्ट को हटाने के साथ नियम 15 (बी) में सशक्तीकरण, बोर्ड की एक ही परीक्षा के बजाय कई परीक्षाएँ हो सकती हैं। इस तरह के सशक्तिकरण की प्रकृति से [2022] 1 एस. सी. आर.

और 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक परीक्षा आयोजित करने की पृष्ठभूमि में, बोर्ड 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' की प्रक्रिया को अपनाने का हकदार था। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रक्रिया तत्काल मामले में अंकों का मापन या सामान्यीकरण अपरिहार्य था और इसे अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक था। मामले के इस पहलू को उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है लेकिन उनके

सामान्यीकरण के आवेदन के लिए उपयुक्त चरण नियम 15 (ई) स्तर पर होगा।

44. बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, उनकी ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और विद्वान वकील के अनुसार, जिस स्तर पर सामान्यीकरण को लागू करने की आवश्यकता थी, वह नियम 15 (बी) स्तर पर था। उनके प्रस्तुतिकरण में, यदि मूल विचार सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को एक समान और समान मापदंड पर रखना था और यदि लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त करना चयन के लिए मुख्य निर्धारण मानदंड होना था, तो सामान्यीकरण को प्रारंभिक चरण में ही लागू करना था।

दूसरी ओर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, जिन्होंने खुद को अयोग्य पाया सामान्यीकरण के बाद 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के लिए,

सामान्यीकरण को अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के चरण में होना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चाहे उम्मीदवार ने किसी विषय या विषय में 50 प्रतिशत से कम "सामान्यीकृत अंक" प्राप्त किए हों, फिर भी वह अंतिम योग्यता सूची का हिस्सा होगा क्योंकि उसने पहले ही प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत "कच्चे अंक" प्राप्त कर लिए थे।

उपरोक्त विषयों में से प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार प्रत्येक विषय और राज्यों में अंकों के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती "। नियम 15 (ई) बोर्ड से "खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर" उम्मीदवारों की प्रत्येक श्रेणी की एक चयन सूची तैयार करने की अपेक्षा करता है। प्रावधान करते हैं

साधारण भाषा में, अलग मानदंड या सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

46. यदि हम नियम 15 (बी) और 15 (ई) में 'अंक' अभिव्यक्ति को दोनों चरणों में 'कच्चे अंक' समझते हैं जो बहुत ही बुनियादी विचार के खिलाफ जाएगा जो 'अंकों के स्केलिंग' की प्रयोज्यता की मांग करता है या

' एकाधिक से उत्पन्न होने वाली परिवर्तनशीलता के कारण सामान्यीकरण '

परीक्षाएँ। इस प्रकार, यदि दोनों चरणों में 'कच्चे अंक' का आधार होना है, तो उम्मीदवारों का कभी भी समान आधार या आधार पर परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसलिए, निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक की आवश्यकता होगीः

या तो इन दोनों प्रावधानों में अभिव्यक्तियों 'अंकों' को सामान्यीकरण को अपनाने के बाद अंक माना जाए, या 'सामान्यीकृत अंक', या उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम को स्वीकार करना और नियम 15 (बी) में अभिव्यक्ति 'अंकों' को 'कच्चे अंक' के रूप में समझना और नियम 15 (ई) स्तर पर सामान्यीकरण को लागू करना केवल अंतर योग्यता स्थिति पर विचार करने के लिए।

47. हालाँकि, यदि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे तीन मामलों में विसंगतियाँ पैदा होंगी।

यह ऐसी स्थिति की ओर भी ले जा सकता है जहां एक व्यक्ति, अंतिम विश्लेषण में यानी 'अंकों के मापन' या 'सामान्यीकरण' को अपनाने के बाद,

दूसरा, जिन लोगों ने 50 प्रतिशत से अधिक 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए हैं, लेकिन 50 प्रतिशत से कम 'कच्चे अंक' प्राप्त किए हैं, वे गणना से बाहर होंगे क्योंकि वे नियम 15 (बी) चरण से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अंत में, इस तरह के पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप से यह तात्पर्य होगा कि "उपरोक्त प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे" (जैसा कि नियम 15 (बी) में दिखाई देता है) को खंड (बी) के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक चयन सूची (नियम 15 (ई) के संदर्भ में) तैयार करने के विपरीत अलग तरीके से माना जाएगा।

48. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नियम 15 (बी) में निर्दिष्ट अयोग्यता 'भर्ती' के खिलाफ है। पात्रता के मानदंड केवल 15 (सी) और 15 (डी) तक के चरणों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें भर्ती तक पूरा किया जाना चाहिए। नियम 15 (ई) विशिष्ट और स्पष्ट संदर्भ देता है -

- खंड के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक

(बी)। प्रयुक्त क्रिया दोनों स्थानों पर 'प्राप्त' है अर्थात नियम 15 (बी) और नियम 15 (ई) में। दोनों चरणों में लिखित रूप में 'प्राप्त' अंक

खंड (बी) के लिए संदर्भित परीक्षाएँ, (i) के लिए प्रासंगिक मानदंड हैं। नियम 15 (बी) के संदर्भ में भर्ती के लिए और (ii) [2022] 1 एस. सी. आर. की तैयारी के लिए पात्र होना।

नियम 15 (ई) के तहत चयन सूची। एक अलग मानदंड को अपनाना

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए सुझाव निश्चित रूप से असंगत स्थितियों का कारण बनेंगे जैसा कि ऊपर कहा गया है।

49. यह सच है कि किसी कानून में अलग-अलग स्थानों पर दिखाई देने वाली एक ही अभिव्यक्ति का कुछ अवसरों पर इस न्यायालय द्वारा अर्थ लगाया गया है।

अलग तरह से, उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम।

वेंकटेश्वर हैचरीज (पी) लिमिटेड ", इस न्यायालय ने शामराव विष्णु पारुलेकर बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया। जिला मजिस्ट्रेट, थाना ने पाया कि "वस्तुओं" अभिव्यक्ति का वही अर्थ नहीं दिया जा सकता है जिसका उपयोग आयकर अधिनियम की धारा 32 ए और 80 जे की पांचवीं अनुसूची में किया गया था। इस मुद्दे पर चर्चा इस प्रकार थीः

" 18. फिर निर्धारिती के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया कि अधिनियम कई स्थानों पर "लेख या चीजें" शब्दों का उपयोग करता है और अधिनियम की धारा 32-ए और धारा 80-जे के तहत अधिनियम के अन्य स्थानों में उन्हें दिए गए अर्थ को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची उन वस्तुओं की एक सूची निर्धारित करती है जो हैं -

अधिनियम की धारा 33 (1) (बी) के प्रयोजन के लिए निर्मित या उत्पादित वस्तुओं या चीजों के रूप में माना जाता है। इस अनुसूची में हम पाते हैं कि प्रसंस्कृत बीज जो पौधों के उत्पाद हैं, उन्हें "वस्तुओं या चीजों" के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह, उक्त अनुसूची की वस्तु (30) "मछली" है, जो एक सजीव वस्तु है, लेकिन इसे "लेख या चीजें" शीर्षक के तहत दिखाया गया है। अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में वस्तुओं और चीजों को दिए गए अर्थ के आधार पर, यह आग्रह किया गया था कि चूजों का अंडे देना भी "वस्तुओं या चीजों" का उत्पादन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसाधित बीजों और मछलियों का वर्णन पाँचवीं अनुसूची में "लेख या चीज़ें" शीर्षक के तहत किया गया है। आम तौर पर, किसी कानून में एक ही शब्द का अर्थ एक ही होता है जब भी उस कानून में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसी के विभिन्न प्रावधानों में भी उनका अर्थ अलग हो सकता है।

कानून। शामराव विष्णु पारुलेकर बनाम। जिला। मजिस्ट्रेट,

थाना 1 7:

" लेकिन श्री चटर्जी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभिव्यक्ति

' जिन आधारों पर आदेश दिया गया है

16 (1999) 3 एस. सी. सी. 632 17 (1956) एस. सी. आर. 644 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम।

अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

धारा 3 (3), शब्द-दर-शब्द, धारा 7 की तरह ही है कि एक ही क़ानून में होने वाली एक ही अभिव्यक्ति को एक ही निर्माण प्राप्त करना चाहिए, कि धारा 3 की जो आवश्यकता है वह यह है कि निरोध के लिए आदेश देने पर, प्राधिकरण उस आदेश के लिए आधार तैयार करेगा, और उसे धारा 3 (3) के तहत राज्य सरकार और धारा 7 के तहत बंदी को भेजेगा, और इसलिए यह केवल राज्य सरकार को उन सामग्रियों की रिपोर्ट भेजने के लिए पर्याप्त नहीं था जिन पर आदेश दिया गया था। मैक्सवेल के क़ानूनों की व्याख्या, एडन में रिलायंस को निम्नलिखित मार्ग पर रखा गया था। 10 , पी। 522 :

' सभी स्थितियों में, यह मान लेना उचित है कि एक ही अभिव्यक्ति के उपयोग से एक ही अर्थ निहित है।

एक अधिनियम का प्रत्येक भाग।

कानून की योजना में विशेष प्रावधान और इसकी स्थापना के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुमान ', क्रेज़ कहते हैं,' कि एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है यद्यपि एक ही अर्थ बहुत कम है, और यह उचित है कि "यदि पर्याप्त कारण निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो किसी अधिनियम के एक भाग में किसी शब्द का अर्थ उस अर्थ से अलग किया जाए जो वह किसी अधिनियम के दूसरे भाग में रखता है।" (क़ानून, एडन। 5, पृ. 159) और मैक्सवेल, जिनके कानून के बयान पर याचिकाकर्ता भरोसा करते हैं, आगे कहते हैं:

' लेकिन अनुमान बहुत भारी नहीं है। एक ही शब्द का उपयोग एक ही कानून में और यहां तक कि एक ही खंड में भी अलग-अलग अर्थों में किया जा सकता है।

19. एक ही शब्द, यदि अधिनियम के एक प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो इसका अर्थ एक अर्थ हो सकता है और दूसरा एक अलग अर्थ में हो सकता है।

संदर्भ। विधायिका ने अपने विवेक से संसाधित बीजों और मछलियों को पांचवीं अनुसूची में लेख या चीजें शीर्षक के तहत रखने का विकल्प चुना था क्योंकि विधायिका किसी भी शब्द को कृत्रिम अर्थ देने में सक्षम है। इसलिए, हमारी राय है कि पांचवीं अनुसूची में "लेख या चीजें" शब्दों को दिया गया अर्थ अधिनियम की धारा 32-ए और 80-जे में उपयोग किए गए "लेख या चीजें" शब्दों को नहीं दिया जा सकता है।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. इसलिए हम विद्वान वकील की दलीलों को अस्वीकार करते हैं। निर्धारिती के लिए। उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि

मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय

सी. आई. टी. वी. श्री वेंकटेश्वर हैचरीज (पी) लिमिटेड 1 8 18 कानून के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखता है, जबकि हम निर्णय को मंजूरी देते हैं। सी. आई. टी. बनाम के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का। डीजे

हैचरीज़ 1 9

22. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि निर्धारिती न तो एक औद्योगिक उपक्रम है और न ही वह "वस्तुओं या चीजों" के उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। नतीजतन, निर्धारिती अधिनियम की धारा 32-ए के तहत निवेश भत्ता और धारा 80-एचएच, 80-एचएचए, 80-I के तहत कटौती का हकदार नहीं है।

80 - जे ऑफ द एक्ट "।

50. इस प्रकार, यह संदर्भ है जो यह निर्धारित करता है कि क्या दो अलग-अलग स्थानों पर होने वाली एक ही अभिव्यक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। अलग तरह से या एक ही प्रकाश में।

51. यदि हम प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत या उससे अधिक के 'सामान्यीकृत अंक' वाला व्यक्ति गणना से बाहर हो सकता है क्योंकि उसके कच्चे अंक 50 प्रतिशत से कम थे; और, ऐसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या है। साथ ही, कोई व्यक्ति जिसका 'सामान्यीकृत अंक' 50 प्रतिशत से काफी कम था, वह अभी भी चयन सूची का हिस्सा हो सकता है क्योंकि उसके 'कच्चे अंक' 50 प्रतिशत से अधिक थे।

52. यदि इरादा यह देखना है कि प्रत्येक उम्मीदवार ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और वे उम्मीदवार जो 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहे हों 18 (1988) 174 आई. टी. आर. 239 (ए. पी.)

19 (1995) 211 आई. टी. आर. 652 (बम)

उत्तर प्रदेश राज्य v. अतुल कुमार द्विवेदी [उदय उमेश ललित, जे।]

कानून की आवश्यकताएँ। बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर थी और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा जोर दिया गया था प्रक्रिया के किसी भी मोड़ पर दुर्भावनापूर्ण या प्रामाणिक नहीं होने के आरोप। इस मामले का एक और पहलू इस न्यायालय द्वारा सुनील कुमार और अन्य बनाम मामले में अपने फैसले के पैराग्राफ 20 में व्यक्त की गई सावधानी है। बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य। 1 4 जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, लोक सेवा आयोगों सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में तब तक हल्का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मनमाने ढंग से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है।

54. इसलिए हमें इस चुनौती को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है

राज्य की ओर से उठाया गया और इन अपीलों को अनुमति दी गई और वर्तमान में चुनौती के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया। बोर्ड द्वारा 28 फरवरी 2019 को घोषित परिणाम अब जल्द से जल्द प्रभावी किए जाएंगे।

55. तथापि, यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि राज्य और बोर्ड

दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनुमति दी गई थी अर्थात जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक 'कच्चे अंक' प्राप्त किए थे और साथ ही साथ जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए थे, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 5 में विस्तृत है। ऐसे उम्मीदवारों ने आगे के सभी चरणों, अर्थात् शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लिया था, हालांकि पहली श्रेणी के उनमें से कुछ को अंततः इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उन्होंने 50 प्रतिशत से कम 'सामान्यीकृत अंक' प्राप्त किए थे। राज्य विचार कर सकता है

बाद में अयोग्य ठहराए गए [2022] 1 एस. सी. आर. के पक्ष में कुछ भत्ता देना।

उम्मीदवारों को अगले चयन में कुछ वेटेज और/या आयु में छूट देकर।

56. अलग होने से पहले, हमें सभी विद्वान वकीलों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सहायता को स्वीकार करना चाहिए जो पक्षकारों की ओर से पेश हुए। तत्काल मामले।

बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति दी जाती है

लागतों के लिए। देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।